RNI NO.CHHHIN/2012/46660

ISSN : 2277-6907

Volume : 7
Issues : I & II
March. & Jun. 2018

Mind and Society

A Refereed Research Journal in Humanities and Social Sciences

Patron & Founder Editor
Prof. Bansh Gopal Singh

Editor
Prof. Abha Rupendra Pal

Managing & Joint Editor
Dr. Basant Kumar Sonber

Published by
Manav Navnirman Sansthan
60-Kanchanbag Rajnandgaon (C.G.)

Published by
Manav Navnirman Sansthan
60-Kanchanbag Rajnandgaon (C.G.) Pin - 491441 INDIA
Contact : 07744228090, 9009879090, 9827186909
E-mail : mindandsociety99@gmail.com, drbsonber@gmail.com

© **President**
Manv Navnirman Sannsthan
Rajnandgaon (C.G.)

Price : Rs. 350.00 (Individual)
Rs. 500.00 (Institutional)

Membership :

	Individual	*Institutional*
For One Year	1200.00	1800.00
For Two Year	2200.00	3400.00
For Life time	5000.00	8000.00

Composed & Printed by :
Chhattisgarh Offset, Rajnandgaon (C.G.)

Disclaimer :

The views expressed by the authors in their research papers are their own. 'Mind and Society' and its publisher /Editor/printer do not take any responsibility for any injury and/or damage to person or property caused by the article. Author will be solely responsible for the issues related to intellectual property, copy right and plagiarism. All the disputes related to 'Mind and Society' will come under the jurisdiction of Rajnandgaon(C.G.) court only.

RNI NO.CHHHIN/2012/46660

Mind and Society ISSN 2277-6907
Vol. 7, No.I & II , March & Jun 2018

Patron & Founder Editor
Prof. Bansh Gopal Singh

Editorial Board

Editor
Prof. Abha Rupendra Pal

Managing & Joint Editor
Dr. Basant Kumar Sonber

Editorial consultant

Prof. Girishwar Misra
(Vice Chancellor, Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishvavidyalaya Vardha)

Prof. A. P. Singh
(B.H.U. Varanasi U.P.)

Prof. A. K. Shrivastava
(N.C.E.R.T. New Delhi)

Prof. R. N. Singh
(B.H.U. Varanasi U.P)

Prof. K. N. Tripathi
(Barkatulla University Bhopal M.P.)

Prof. A. K. Panday
(Pt. Ravishankar Shukla University Raipur C.G.)

Prof. Basheer Hasan
Pt. Ravishankar Shukla Universicty Raipur C.G.

Prof. O.P. Verma
(Chairman Niji Vishvavidyalaya Niyamak Ayaog C.G.)

Prof. P. K. Rai
(Dr. H.S. Gaur Central University Sagar M.P.)

Prof. K. S. Mishra
(Alhabad Centeral UniversityAlhabad U.P)

Prof. Meeta Jha
(Pt. Ravishankar Shukla University Raipur C.G.)

Prof. Priyambada Srivastava
(Pt. Ravishankar Shukla Universicty Raipur C.G.)

Dr. Pankaj Singh
(Dr. H.S. Gaur Central University Sagar M.P.)

Dr. Jay Singh
(Govt. P.G. Colloge Dantewada C.G.)

Mind and Society

A Refereed Research Journal in Humanities and Social Sciences

(ISSN - 22776907, RNI NO- CHHHIN\2012\46660)

Guideline to Author

Every submission should adhere to the journal format and style, legibly written in good English/Hindi, comprehensive, concise and complete. It is essential that author(s) should prepare the manuscript according to journal's instructions. Failure to follow them may result in papers being delayed or rejected. Therefore, contributors are strongly encouraged to read these instructions carefully before preparing a manuscript for submission and the manuscripts should be checked carefully for grammatical errors too.

All manuscripts for publication will be considered on their individual merits. The manuscripts will be subjected to "peer review". The manuscripts will be sent to reviewers/referees and their comments along with the editorial board's decision will be forwarded to the corresponding author for necessary action. The final decision to accept an article rests with Editor-in-Chief who reserve the right to make alterations in manuscripts. Prior and duplicate publications are not allowed. Manuscript(s) must be accompanied with a statement (Membership Form) that it has not been published elsewhere and that it has not been submitted simultaneously for publication elsewhere. Authors are required to sign an agreement transferring the copyright to the publisher. All accepted manuscripts, and photographs become the property of the publisher.

Instructions for Preparation and Corresponding Research Article:

1. All parts of the manuscript should be typewritten, 1.5 space, with margins of at least one inch on all sides .
2. The manuscript should be on A4 size. Page numbers should be given accordingly.
3. Each article should be summarized in an abstract of not more than 200 words and avoid abbreviations, diagrams, and reference to the text.
4. The manuscript should be prepared in MS Word in Times New Roman font for articles in English using a font size of 12.
5. For Hindi articles, prepare manuscript in MS Word in Kruti Dev-10 font using a font size of 14.
6. Reference should be in accordance with APA style.
7. Name, post, complete address, Email address, and contact no. should be mentioned below the article.
8. The complete paper to be mailed on mindandsociety99@gmail.com or drbsonber@gmail.com.
9. It is essential for authors to have annual membership of the journal.
10. Membership fee must be paid by a DD named MANAV NAVNIRMAN SANSTHAN RAJNANDGAON (paid to SBI Goshalapara branch, Rajnandgaon, branch code SBIN-0030400)
11. Two Hard copy of the paper, one soft copy in CD , membership form, certification of originality and DD of the submission fee must be send to the editorial address.
12. DD of Printing charge is taken merely for the research papers approved for publication in the Journal by the editorial board.
13. The Journal also can be subscribed online on 'www.mindandsociety.in' .

Mind and Society ISSN 2277-6907
Vol. 7, No.I & II March & Jun 2018

Content

1. Women Empowerment Problems and Remedy	Raghwesh Pandey	07-10
2. General Economics of Health	Dr. Amrendra	11-13
3. Childhood Obesity : A Global Problem Causes, Consequences And Prevention Techniques	Dr. Smt. Usha Mohabey	14-16
4. माताओं के कामकाजी अथवा घरेलू होने का विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि पर प्रभाव	सुरमणी मंगदा, डॉ. बसंत कुमार सोनबेर	17-20
5. सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि में परिवेश एवं लिंग के आधार पर अध्ययन	श्रीमती मंजूषा नामदेव डॉ. प्रमोद कुमार नायक	21-24
6. मानसिक स्वास्थ्य का परिवेश एवं लिंग के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन	कु. दुर्गावती मिश्रा डॉ. प्रमोद कुमार नायक	25-28
7. रायगढ़ रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना तथा संवैधानिक विकास	डॉ. ऋषिराज पाण्डेय	29-32
8. जनजातीय महिलाओं में राजनैतिक जागरूकता की स्थिति का अध्ययन	डॉ.ए.के.धमगाये श्री के.आर.ठाकुर	33-38
9. भारत में महिलाओं की स्थिति एवं विकास : एक परिदृश्य	डॉ. मनीष कुमार साव,	39-42

Applicatoin/Certification of Originality

To,

Managing & Joint Editor,

Mind and Society,

A Refereed Research Journal in Humanities and Social Science,

60- Manav Navnirman Sansthan,

Kanchanbag Rajnanadgaon C.G., Pin- 491441

Sub. – Application for Publishing Research Paper / Certificate of Originality.

I am sending you the manuscript of my research paper entitled ………………………………………………………………………………………………… Please try to provide this place in the research Journal "Mind and Society".

I certify that the manuscript of research paper is my original work and written by me. I also certify that all information sources and literature used have been indicated in the research paper. This paper has not been published and submitted simultaneously for publication elsewhere. After publication I will not have the copyrights of manuscript, photographs and tables. It will become the property of the publisher.

Signature with date....... ………………………………

Name …………………………………………………..

Designation……………………………………………

…………………………………………………….......

Postal Address………………………………………..

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Mo.No…………………………………………………

Email Id……………………………………………..

(Corresponding Author)

Mind and Society ISSN 2277-6907
Vol. 7, No.I & II March & Jun 2018 Page 07-10

Women Empowerment Problems and Remedy

* *Raghwesh Pandey*

Received	Reviewed	Accepted
17 May 2018	25 May 2018	29 May 2018

The principle of gender equality is enshrined in the Constitution of India in its Preamble, Fundamental Rights, Fundamental Duties and Directive Principles. The Constitution not only grants equality to women, but also empowers the State to adopt measures of positive discrimination in favour of women. Within the framework of a democratic policy, our laws, development policies, Plans and programmes have aimed to provide advantage to the women in different spheres. India has also ratified various international conventions and human rights instruments committing to secure equal rights of women. Key among them is the ratification of the Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) in 1993.

In 1995, then-US First Lady **Hillary Clinton said**: **"Women's rights are human rights"** at the UN Conference on Women in Beijing. Almost 20 years later, the challenge of ensuring women's rights remains. Across the world, in all societies, women and girls consistently face a range of barriers to equality - such as wage gaps, gender-based violence, child marriage and female genital mutilation. The poor and otherwise socially disadvantaged are further marginalized through crippling combinations of gender discrimination and poverty discrimination. Therefore, tackling the gender inequalities and critical barriers that prevent women and girls from exercising their rights and empowering themselves must be at the heart of our efforts to create sustainable, prosperous and resilient societies. Empowerment is instrumentally important for achieving positive development outcomes and well-being of life, which lies in the doing and being what one value and have reason to value i.e. agency. The present paper examines various conceptions of these ideas to clearly mark the overlapping zones and distinguishing features of respective concepts.

1.CONSTITUTIONAL PROVISIONS

The Constitution of India not only grants equality to women but also empowers the State to adopt measures of positive discrimination in favour of women for neutralizing the cumulative socio economic, education and political disadvantages faced by them. Fundamental Rights, among others, ensure equality before the law and equal protection of law; prohibits discrimination against any citizen on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth, and guarantee equality of opportunity to all citizens in matters relating to employment. Articles 14, 15, 15(3), 16, 39(a), 39(b), 39(c) and 42 of the Constitution are of specific importance in this regard.

Constitutional Privileges-

(i) Equality before law for **women (Article 14).**

(ii) The State not to discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, **sex**, place of birth or any of them **(Article 15 (i)).**

(iii) The State to make any special provision in favour of **women** and children **(Article 15 (3)).**

(iv) The State to direct its policy towards securing for men and **women** equally the right to an

* *Asst.Profesor, HoD, Govt.G.S.G.P.G. College Balod,(C.G.)*

adequate means of livelihood **(Article 39(a));** and equal pay for equal work for both men and **women (Article 39(d)).**

(v) The State to make provision for securing just and humane conditions of work and for maternity relief **(Article 42).**

(vi) To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India and to renounce practices derogatory to the dignity of **women (Article 51(A) (e))** .

(vii) Not less than one-third (including the number of seats reserved for **women** belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes) of the total number of seats to be filled by direct election in every **Panchayat** to be reserved for women and such seats to be allotted by rotation to different constituencies in a **Panchayat (Article 243 D(3)).**

(viii) Not less than one- third of the total number of offices of Chairpersons in the **Panchayats** at each level to be reserved for **women (Article 243 D (4)).**

(ix) Not less than one-third (including the number of seats reserved for **women** belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes) of the total number of seats to be filled by direct election in every **Municipality** to be reserved for **women** and such seats to be allotted by rotation to different constituencies in a **Municipality (Article 243 T (3)).**

(ix) Reservation of offices of Chairpersons in **Municipalities** for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and **women** in such manner as the legislature of a State may by law provide **(Article 243 T (4))** .

2. LEGAL PROVISIONS

To uphold the Constitutional mandate, the State has enacted various legislative measures intended to ensure equal rights, to counter social discrimination and various forms of violence and atrocities and to provide support services especially to working women.

Although women may be victims of any of the crimes such as 'Murder', 'Robbery', 'Cheating' etc, the crimes, which are directed specifically against women, are characterized as 'Crime against Women'. These are broadly classified under two categories.

(1) The Crimes Identified Under the Indian Penal Code (IPC)

(i) Rape (Sec. 376 IPC)
(ii) Kidnapping & Abduction for different purposes (Sec. 363-373)
(iii) Homicide for Dowry, Dowry Deaths or their attempts (Sec. 302/304-B IPC)
(iv) Torture, both mental and physical (Sec. 498-A IPC)
(v) Molestation (Sec. 354 IPC)
(vi) Sexual Harassment (Sec. 509 IPC)
(vii) Importation of girls (up to 21 years of age)

(2) The Crimes identified under the Special Laws (SLL)

Although not all laws are gender specific, the provisions of law affecting women significantly have been reviewed periodically and amendments carried out to keep pace with the emerging requirements. Some acts which have special provisions to safeguard women and their interests are:

(i) The Employees State Insurance Act, 1948
(ii) The Plantation Labour Act, 1951
(iii) The Family Courts Act, 1954
(iv) The Special Marriage Act, 1954
(v) The Hindu Marriage Act, 1955
(vi) The Hindu Succession Act, 1956 with amendment in 2005
(vii) Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956
(viii) The Maternity Benefit Act, 1961 (Amended in 1995)
(ix) Dowry Prohibition Act, 1961
(x) The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971
(xi) The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1976
(xii) The Equal Remuneration Act, 1976
(xiii) The Prohibition of Child Marriage Act, 2006
(xiv) The Criminal Law (Amendment) Act, 1983
(xv) The Factories (Amendment) Act, 1986

(xvi) Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986
(xvii) Commission of Sati (Prevention) Act, 1987
(xviii) The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005

3. SPECIAL INITIATIVES FOR WOMEN

(i) **National Commission for Women**

In January 1992, the Government set-up this statutory body with a specific mandate to study and monitor all matters relating to the constitutional and legal safeguards provided for women, review the existing legislation to suggest amendments wherever necessary, etc.

(ii) **Reservation for Women in Local Self -Government**

The 73rd Constitutional Amendment Acts passed in 1992 by Parliament ensure one-third of the total seats for women in all elected offices in local bodies whether in rural areas or urban areas.

(iii) **The National Plan of Action for the Girl Child (1991-2000)**

The plan of Action is to ensure survival, protection and development of the girl child with the ultimate objective of building up a better future for the girl child.

(iv) **National Policy for the Empowerment of Women, 2001**

The Department of Women & Child Development in the Ministry of Human Resource Development has prepared a "**National Policy for the Empowerment of Women"** in the year 2001. The goal of this policy is to bring about the advancement, development and empowerment of women.

CONCLUSION-

Despite great strides made by the international women's rights movement over many years, women and girls around the world are still married as children or trafficked into forced labor and sex slavery. They are refuse access to education and political participation, and some are trapped in conflicts where rape is perpetrated as a weapon of war. Around the world, deaths related to pregnancy and childbirth is needlessly high, and women are prevented from making deeply personal choices in their private lives. Human Rights Watch is working toward the realization of women's empowerment and gender equality—protecting the rights and improving the lives of women and girls on the ground.

We have many laws about the protection of women from beginning of our society or constitution of India. After the Delhi rape case, we made so many changes in criminal law. In 2005 we also amend the Indian Succession Act, 1955 and give equal power to daughter as son. However, beside one thing we have not changed that is our mindset towards women. Law is instrument to change the society but it cannot change our mind set regarding empowerment of women. Therefore, this is very important to change our mindset because only our mindset can empower the women. It is not only applicable on men but women are equally responsible to violet the human right of women. In case of female feticide, dowry death, cruelty, Domestic violence role of women is very important. The response of the women to increase in wealth and education is an important factor in public policy, for developing countries. Particularly it is important to understand how female education has external benefits for families such as reduced fertility, improved child health, expansion of the skilled labour force and participation of all activities. The result of the study suggests that initiating female education, women participation increase in the economy. This results in empowerment of women and conferring human rights to them leads development in all wings.

Pandit Jawaharlal Nehru says that "You can tell the condition of a nation by looking at the status of women"

Reference:

1. Female human resource development growth and equity as priorities (LC/L.947) MAY 1997.

2. Mammen.K. & Paxson .C (2000) Women's work and economic development the journal of economic perspectives.

3. Mason, K.O (1993) "The impact of women's position on demographic change during the course of development.

4. Bright, Pritom Singh (edtz—Competition Refresher, August, 2010, New Delhi.

5. Hasnain, Nadeem—Indian Society and Culture, Jawahar Publishers and Distributors, 2004.New Delhi.

6. Kar, P. K—Indian Society, Kalyani Publishers, 2000, Cuttack.

7. Kidwai, A. R(edt)Higher Education, issues and challenges, Viva Books, 2010, New Delhi).

8-Rao Shankar, C. N.——Indian Society, S.Chand & Company Ltd, 2005, New Delhi.

Mind and Society ISSN 2277-6907
Vol. 7, No.I & II, March & Jun 2018 Page 11-13

General Economics of Health

* **Dr. Amrendra**

Received	Reviewed	Accepted
10 April 2018	15 April 2018	17 April 2018

Since the Resource available to the health services are limited, and the potential needs of patients are unlimited, some allocation of resource is essential. This problem has now become widely recognized but the main perception realized it when the service was first introduced in the cost of Health (1952) Robert & Wrote : [1]

I can not share the facile optimizer which believe that the straits in which the Health service finds itself are only ***'teething troubles'*** *and that there are no difficulties which human ingenuity can not surmount. On the contrary I believe that the problem is by its very nature insoluble. From the practical point of view the task of the medical profession and the administration will be to determine how our limited resources can be put to the best use, free and comprehensive health service is a noble ideal, but one which the country cannot under existing conditions attain. This axiom holds good for India also.*

Decision Making:

It is clear that some choice in allocation has to be made and it should be as rational as possible. It is only comparatively recent that simple decision making has been analysed and though there were earlier writings, **Theory of Games and Economic Behavior**.(Von Neumann and Morgenstem, 1944) **2** marks the first extended attempt to encompass this subject. The inclusion of 'games' may come as a surprise but just as a two person game like chess can be though of as a sequence of alternative decision. So a doctor diagnosing his patient may be considered to be playing a game with nature. However, the analogy doesn't hold good. Since in game theory it is assumed that each opponent is playing optimal strategy, where as nature is under no obligation to do so and in general does not.

In Medicine we operate in a state of uncertainty in the sense that the outcome of a decision is not known with certainty but only with a certain probability. Probability theory teaches us the way in which a numerical measure can be attached to a chance or probability, and the laws governing the probabilities of more than one event occurring. A little reflection suggests that we shall also need some numerical measure for the value or worth of the outcome of a particular decision. It is usual to give the name utility to this numerical measure of value, so that the mathematics we shall need will be that of probability and decision theory. **3** Decision within the

* *Asstt. Professor (Economics) Govt. RBR NES P.G. COLLEGE, JASHPURNAGAR (C.G)*

Health service occur at different levels of organization. There is therefore a hierarchy of decision making. At the lower level, the decision is made by an individual doctor about an individual patient. The decision might be, for example, choice between medical and surgical treatment of sciatica. Only one person is involved in the decision and only one patient. At the next level, there can be a decision on a choice of resources. Some money is available for the particular committee and choice exist for the particular resource to be purchased. The choice might lie between an extension to a department of radiology or a department of Physiotherapy. In this decision there is a choice of resources and this will affect different patients, one set will tend to gain and the other to lose, and the decision is taken not by an individual but by a group. At the next stage in hierarchy, perhaps a department of Health, the decision can be more extended involving larger sum of money, a decision, for example, whether to build a new hospital. The decision might also arise whether to employ some preventive measure since, if this is to be done, it has almost certainty to be done universally and if it is to be enforced, may require statutory action. At the highest level of hierarchy is the government, where decisions are taken which allocate resources between say, health & education.

Analysis of decision:

The formal analysis of decision is still undeveloped, but it is possible to make some progress with the analysing of decision taken at the lowest level **4** i.e. between doctor and patient. We have as yet no formal method analysis the decision of a group such as a committee. It is therefore seen wiser in this Paragraph to consider such analysis as is already possible between doctor and patient and the extent to which the conclusions reached may affect policy within the Health service.

Value of Life:

Life, it is often said is priceless, but this belief sprigs from a mis under standing and depends on who is making judgments. The monetary value of human life is therefore a notional one.

As in general Economics utility Theory has Impellent Utility this is so in Economics of Health. **5** The wagering Technique **6** has worked well is some particular situation as simulated situation of a given patient with a set of states of wealth represented by different level of visual activity.

Another Method to measure the utility is probability of an outcome which in medicine is usually called **Prognosis.**

The monetary cost of treatment is to be taken into amount but ‘cost’ is a complex concept and will have to include any pain or anxiety incurred by the patient.

Best treatment:

With these estimates of the variables in the treatment decision model, it becomes possible to calculate the best treatment i.e. the treatment that has the greatest expected value. Though we can see the possibility of the model, we can-

not do this complete calculation since estimates of utilities etc. have not yet been made.

This treatment decision is clearly at the terminal of the doctor's decision free and when the patient is first seen, treatment cannot usually be allocated immediately. Ideally we might like a function which allocated a treatment Tj on the basis of the patient state

$$Tj = f(x)$$

Where x is a vector representation the state of the patient so that, given this state, the treatment decision function would immediately, give us appropriate treatment. This is not in general possible, because of the enormous number of treatment and the size of the state vector representating the patient. It may be possible in a particular cases. We require some reduction of the problem and this is supplied by the concept of disease.

References:

1. Roberts, Franger (1952). The cost of Health.
2. Neumam J. Von and Morgenreter o (1944). Theory of Games and Economic Behaviour.
3. Hodgs, J.G. and Lehmma EL. (1970). Basic concept of probability and statistics.
4. Holdem Dax, San Franciso. An introduction to probability without calculus.
5. Jones Lee wfw (1976). The value of Life, an Economic Analysis.
6. Ibid

Mind and Society ISSN 2277-6907
Vol. 7, No.I & II, March & Jun 2018 Page 14-16

Childhood Obesity : A Global Problem Causes, Consequences And Prevention Techniques

** Dr. Smt. Usha Mohabey*

Received 02 March 2018 | Reviewed 13 March | Accepted 17 March 2018

ABSTRACT

Number of obese and over weight children have increased due to change in life style. Obesity is an illness. This illness should be addressed psychologically with a social change initiatives, Children . who are overweight or obese have a great deal of stress which effect their progress in school in interaction with their peers and their role in family dynamic is damaged. Success, beauty and personal worth is associated with persons body image and "Thin Ideal" concept is supported in human culture. It is assumed that obese are lazy stupid in component and are associated with many Physical and mental disorders. With this knowledge of negativity associated with obesity, It seems clear that obese children need support from community help them to develop skills and strategies to copy with negativity they will face in the society Programmers must be developed keeping in mind that the most important contributing factor of obesity is energy imbalance between consuming calories and expanding them through physical activity. Human behavior can be changed by proper training treatment and support .

Key Words— Obesity, Over Weight, Energy imbalance.

School exercise based activities nutritional education counseling of the children by psychologist, value education and continuous monitoring of Body Mass-Index are some issues for better living with balanced body weight.

Introduction:

Centre for Disease control States that obesity(Bradley and Corwyn, 2002) determined by body mars index has risen from 15% to 32.91% in the past 25 years. The obesity rates for children aged six to eleven have seem to increase from 6.5% to 18.8%. The basis of this research is to find out the causes, affects and control of obesity among children Obesity not only causes physical disorders (Daniels 2006, and Caprio 2006)

But also affects mental status family education school based intervention programmers should be designed by Health psychologist children who ate obese or overweight are in great stress. Which affects their progress in school. Obesity prevention must be taken as community problem psychologist has the responsibility to build a culture of activity rather than passivity for Health Society.

Parents and caregivers (Husteddc and Ganowicz ,2007; Grrcia , Garcia Floyd and Lawson 2002) can help in preventing childhood obesity by providing healthy meals daily physi-

** Head , Department of Psychology Govt. Kamladevi Rathi Mahila Mahavidyalaya, Rajnandgaon (C.G.)*

cal activity and nutrition education Increase physical activity reduces health risks and helps weight management Nutrition education helps young children develop an awareness of good nutrition and healthy eating habits for a life time. Physical activity must be encouraged. Walks bike rides hikes and active games must be promoted.

Limit the amount of time to watch Felivision, Video games work on computer to 1 to 2 h"r per day Discourage eating meals or snack's while watering TV. Eating in front of TV may make it difficult to pay Affending to feeling or fullness and may lead to overeating

My conclusion of this study is that weight loss is not a good approach for most young over weight or obese children since their bodies are growing and developing over, weight children should not be put on a diet unless physician suggest. A restrictive diet can not supply the energy and nutrients needed for normal growth and development. The focus should be to maintain current weight while the child grows normally in height. The most important factors for preventing obesity are healthy eating behavior regular physical activity and reduced. Sedentary activity such as playing computer games.

All these problems are human behavior problems and therefore to avoid all such type of problems, Science of behavior is the most important part of Healthy human society

References:

Bradley R.H. and Corwyn, R.F (2002). ***Annual review of Psychology***

Caprio S. (2006) ***The future of children*** 16 (1) 209

Daniels S.R. (2006) ***The future of children*** 16 (1) 47

Grrcia C. Garcia L. Floyd J. and Lawson I (2002).***The Journal of Physical education Recreational and dance*** 73 (1) 27+

Husteddc R.J. and Ganowicz (2007) ***Journal of Community development Society*** 33 (1)

Mind and Society ISSN 2277-6907
Vol. 7, No.I & II , March & Jun 2018 Page 17-20

माताओं के कामकाजी अथवा घरेलू होने का विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि पर प्रभाव

* सुरमणी मंगदा,
* * डॉ. बसंत कुमार सोनबेर

Received 20 April 2018 | Reviewed 25 April 2018 | Accepted 09 May 2018

आज के परिवेश में कई माताओं को घर के बाहर जाकर भी कार्य करना पड़ रहा है अतः उनके कार्य क्षेत्र में विस्तार हुआ है जिससे कि उनका परिवार भी अछूता नहीं रहेगा विशेषकर उनकी संताने तो ऐसी माताओं की संतानों में संवेगात्मक बुद्धि का स्तर क्या होगा ? तथा एक घरेलू माताओं के विद्यार्थियों में संवेगात्मक बुद्धि किस प्रकार भिन्न होगी, प्रस्तुत शोध कार्य में कामकाजी माताओं व घरेलू माताओं के विद्यार्थियों के संवेगात्मक बुद्धि का अध्ययन सुनियोजित रूप में किया गया है । वर्तमान अध्ययन की समस्या यह है कि '' माताओं के कामकाजी अथवा घरेलू होने का विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि पर पर क्या प्रभाव होगा '' प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्श चयन में सम्भाव्य न्यादर्श विधि (यादृच्छिक विधि) का प्रयोग किया गया है। इसके लिए कक्षा 11 वीं व 12 वीं के विद्यार्थियों द्वारा आंकड़ों का संग्रहण किया गया । संवेगात्मक बुद्धि को जानने में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के संवेगात्मक बुद्धि का अध्ययन डॉ. अनीता सोनी एवं डॉ. अशोक शर्मा (2009)द्वारा निर्मित मापनी का उपयोग करके किया गया। विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि के मध्य ''टी'' मूल्य 2.64 प्राप्त हुआ जो 0.01 स्तर पर सार्थक है अतः यह स्पष्ट है कि कामकाजी व घरेलू माताओं के विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि में सार्थक अंतर है

भगवान की सभी रचनाओं में से मानव जीवन सबसे पवित्र है। इसके दो दृष्टिकोण हैं पहला जैविक तथा दूसरा सामाजिक । पोषण व प्रजनन मानव जीवन के जैविक पहलू को बनाए रखा हैं उसी प्रकार शिक्षा मानव जीवन के सामाजिक पहलू या सामाजिक दृष्टिकोण को बनाता है। शिक्षा बालक के बौद्धिक क्षमता को आगे बढ़ाकर उन्नति सुनिश्चित कर सकने में सहायक होता है । शिक्षा ही बालक को सचेत बनाकर युवा जीवन की जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायक होता है ।

शिक्षा का कार्य शैक्षिक प्रक्रिया को पूरा करना ही नहीं है अपितु बच्चों के जीवन के अनेक पहलू को जानने हेतु दिशा निर्देश देना भी है । शिक्षा से जहां एक ओर शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास होता जाता है वहीं दूसरी ओर उसमें सामाजिक भावना भी विकसित होती जाती है। परिणामस्वरूप वह शनैः शनैः प्रौढ़ व्यक्तियों के उत्तरदायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने के योग्य बन जाता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि बालक के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन करने के लिए व्यवस्थित शिक्षा की परम आवश्यकता है । सच तो यह है कि शिक्षा से इतने लाभ हैं कि उनका वर्णन करना कठिन है । इस संदर्भ में यहां केवल इतना कह

* *सहायक प्राध्यापक, कृति इन्सटीट्यूट आफ टीचर्स एजुकेशन रायपुर (छ.ग.)*
**सहायक प्राध्यापक मनोविज्ञान शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कवर्धा (छ.ग.)*

देना ही पर्याप्त होगा कि शिक्षा माता के समान पालन–पोषण करती है, पिता के समान उचित मार्ग–दर्शन द्वारा अपने कार्यों में लगाती है तथा पत्नी की भांति सांसारिक चिन्ताओं को दूर करके प्रसन्नता प्रदान करती है। शिक्षा के ही द्वारा हमारी कीर्ति का प्रकाश चारों ओर फैलता है तथा शिक्षा ही हमारी समस्याओं को सुलझाती है एवं हमारे जीवन को सुसंस्कृत बनाती है।

परिवार में बालक की माता ही उसकी प्रथम शिक्षिका या गुरू होती है । जो उसके सृजनशील विकास करने में उसका पथ प्रदर्शन एक विश्वसनीय मित्र की तरह जीवन पर्यन्त तक करती है । एक परिवार के नैतिक मूल्य परम्पराएं, सामाजिक स्थिति, विचार, आदि का प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर अवश्य ही पड़ता है जिससे वह एक आदर्श व योग्य नागरिक बनता है।

संवेग भाव या अनुभूति के अति निकट होने के कारण जब भाव की मात्रा बढ़ती है तब शरीर उद्दीप्त हो जाता है इस उद्दीप्त अवस्था को ही संवेग (भय, क्रोध, प्रेम, चिन्ता, ईर्ष्या, जिज्ञासा) कहते हैं । संवेग के कारण कभी–कभी व्यक्ति इतना प्रकरित हो जाता है कि जाति, धर्म, देश और मानवता के लिए बड़े से बड़ा कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है । इन सभी उद्दीप्त अवस्था को नियंत्रण में रखकर उसका सही समय व स्थान पर सूझ–बूझ से इस्तेमाल करना ही सांवेगिक बुद्धि कहलाता है।

यूनेस्को सेमिनार में बच्चों के कल्याण पर हुई विचार गोष्ठी में यह अवधारणा स्वीकार की गई की "रचनात्मक कार्य जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, नाटक, स्वाभाविक खेलकूद आदि बच्चों की भावनाओं के लिए अत्यंत मूल्यवान अभिव्यक्ति है तथा उनमें संवेगात्मक नियंत्रण करने सहायक है।

राय (2010) ने कामकाजी माता व घरेलू माता के बच्चों पर समायोजन व शैक्षिक उपलब्धि पर तुलनात्मक अध्ययन किया तथा पाया कि –माता का कामकाजी होना बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है, अपितु यदि बच्चों को सही निर्देशन दिया जाये तो माता का कार्य का उनके समग्र विकास पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा । कामकाजी माताएं अपनी दोहरी भूमिका के बावजूद अपने बच्चों पर ध्यान देने का पूर्ण प्रयास करती हैं। कामकाजी व घरेलू माताओं के बालक–बालिकाओं व घरेलू माताओं के बालक–बालिकाओं में समायोजन में सार्थक अंतर पाया गया अतः माता का कामकाजी होना बच्चों के समायोजन पर प्रभाव डालता है ।

यादव (2009) ने कामकाजी माता के हाईस्कूल व हायर सेकेण्डरी स्तर पर अध्ययनरत बालक–बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य का तुलनात्मक अध्ययन कर पाया कि– कामकाजी व घरेलू महिला अभिभावकों के हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्डरी स्तर पर अध्ययनरत बालक व बालिकाओं में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं। कामकाजी व घरेलू महिला अभिभावकों के बालकों एवं बालिकाओं में लिंग भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है बल्कि पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। दुबे, (2011) ने कामकाजी माता व घरेलू माता की किशोर बालिकाओं मैं संवेगात्मक परिपक्वता तथा शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन कर पाया कि कामकाजी माता के हाईस्कूल स्तर पर अध्ययनरत किशोर बालिकाओं में संवेगात्मक बुद्धि तथा शैक्षिक उपलब्धि अन्य बालिकाओं की अपेक्षा ज्यादा रहती है ।

ऐरिक और राबर्ट (1988) ने सामान्य छात्रों के संवेगात्मक विकास और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालक–बालिकाओं की सफलता और असफलता की परिकल्पनाओं पर अध्ययन कर पाया कि सफलता और असफलता आंतरिक व बाह्य कारणों पर निर्धारित होती है । दूसरा कारण सफलता, असफलता, क्षमता और प्रयत्नों पर निर्धारित होती है। वहीं हाफमेन (1960) ने माता की नौकरी व बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया और पाया कि जो मातायें कामकाजी हैं या नहीं यदि अपनी भूमिका से संतुष्ट हैं तो उनके बच्चे अधिक परिपक्व व समायोजित होते हैं तथा यह भी पाया कि कामकाजी माताओं के बच्चे घर की जिम्मेदारियों के प्रति अधिक झुकाव रखते हैं ।

मेलेनटोस (1975) ने कामकाजी माताओं के विपरीत घरेलू माताओं का उनके बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव

का अध्ययन किया व पाया कि अपने बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का माता का कामकाजी होना या ना होना ज्यादा प्रभावित नहीं करता है । कामकाजी माता व घरेलू माता के बच्चों में संवेगों में स्थिरता में ज्यादा अंतर नहीं होता । कामकाजी माता के बच्चे अपने को ज्यादा मजबूती से प्रस्तुत करते हैं।

इस शोध अध्ययन में मुख्यतः कामकाजी माताओं व घरेलू माताओं के हायर सेकेण्डरी स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों में संवेगात्मक बुद्धि का अध्ययन किया गया है । ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं कि माता के संस्कार सुदृढ़ व शिक्षा के प्रति लगन, निष्ठा और आत्मविश्वास होने से आर्थिक संसाधनों का अभाव या कोई भी अन्य बाधाओं के बावजूद उनके बच्चे उन ऊँचाईयों तक पहुँचते हैं जहां अन्य सम्पन्न परिवार के बालक जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते । इसी कारण माता को बालक की प्रथम गुरू का स्थान प्रदान किया गया है । आज के परिवेश में कई माताओं को घर के बाहर जाकर भी कार्य करना पड़ रहा है अतः उनके कार्य क्षेत्र में विस्तार हुआ है जिससे कि उनका परिवार भी अछूता नहीं रहेगा विशेषकर उनकी संताने तो क्या ऐसी माताओं की संतानों में संवेगात्मक बुद्धि का स्तर क्या होगा ? तथा एक घरेलू माताओं के विद्यार्थियों में संवेगात्मक बुद्धि किस प्रकार भिन्न होगी एक कामकाजी माताओं व उनके विद्यार्थियों से। प्रस्तुत शोध कार्य में कामकाजी माताओं व घरेलू माताओं के विद्यार्थियों के संवेगात्मक बुद्धि का अध्ययन सुनियोजित रूप में किया गया है।

समस्या :

" माताओं के कामकाजी अथवा घरेलू होने का विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि पर पर क्या प्रभाव होगा "

प्रस्तावित शोध समस्या जो कि कामकाजी माताओं व घरेलू माताओं के विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि का अध्ययन इसमें शोध की आवश्यकता एवं महत्व गहन रूप से है । क्योंकि आज के समय में आर्थिक व पारिवारिक आदि सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व माता के कंधों पर भी आ गया है। आज माताओं को अपने बच्चों के बेहतर भविष्य तथा आत्मनिर्भरता आदि कई कारणों से घर पर रहकर एक गृहणी की तरह जीवन का निर्वाह करना पड़ता है।

अतः प्रश्न यह उठता है कि क्या इन माताओं के विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि का स्तर एक समान रहता है अथवा इसमें कोई अंतर पाया जाता है। वर्तमान समय में यह जानना आवश्यक है कि वे माताएँ जो कि दोहरी जिम्मेदारी का निर्वहन करती हैं उन माताओं की बालिकाओं व बालकों में संवेगात्मक बुद्धि घरेलू माताओं की बालिकाओं व बालकों के संवेगात्मक बुद्धि से भिन्न है या नहीं।

परिकल्पना :

माताओं के कामकाजी अथवा घरेलू होने का विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि पर कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा ।

शोध प्रविधि :

प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्श चयन में सम्भाव्य न्यादर्श विधि (यादृच्छिक विधि) का प्रयोग किया गया है। अध्ययन हेतु कक्षा 11 वीं व 12 वीं के विद्यार्थियों द्वारा आंकड़ों का संग्रहण किया गया । यहां पर न्यायदर्श के रूप में 5 शासकीय स्कूल व 1 अशासकीय स्कूल को लिया गया है जिसमें कामकाजी एवं घरेलू माताओं के विद्यार्थियों में 80 कामकाजी माताओं के बच्चों व 80 घरेलू माताओं के बच्चों को जिनकी कुल संख्या 160 है को सम्मिलित किया गया है जिसमें 40 कामकाजी माताओं की बालिकाओं व 40 घरेलू माताओं की बालिकाओं तथा 40 कामकाजी माताओं के बालकों व 40 घरेलू माताओं के बालकों को लिया गया।

प्रस्तुत शोध सर्वेक्षण विधि द्वारा किया गया। शोध अध्ययन के लिए संवेगात्मक बुद्धि पैमाने कां इस्तेमाल किया गया । संवेगात्मक बुद्धि को जानने में कामकाजी माताओं व घरेलू माताओं के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के संवेगात्मक बुद्धि का अध्ययन डॉ. अनीता सोनी एवं डॉ. अशोक शर्मा (2009) द्वारा निर्मित मापनी का उपयोग करके किया गया। मापनी उपकरण की परीक्षण पुर्नपरीक्षण विधि से विश्वसनीयता 0.81 है। दो समूहों के मध्य

इसको प्रशासित किया गया है दो समूहों पर प्रशासित करने पर इसकी वैधता 0.72 है । मापनी में फलांकन के लिए मतावली (मैन्युवल) में एक तालिका दी गयी है जिसमें प्रत्येक प्रश्न (पद) के लिए 3 विकल्प क्रमशः (हॉ), (अनिश्चित), (नहीं) तथा प्रत्येक विकल्प को क्रमशः (3), (2) व (1) अंक प्रदान किये जायेंगे तथा इस तरह प्रत्येक परीक्षण के प्राप्तांकों का योग ज्ञात कर कुल योग या प्राप्तांक प्राप्त किया जायेगा जो शोधार्थी के लिए प्रदत्तों का कार्य करेंगे तथा कुल 160 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को ज्ञात किया जायेगा ।

परिणामः

तालिका क्रमांक — 1

विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि में भिन्नता

वर्ग	संख्या (N)	मध्यमान (M)	प्रमाणिक विचलन (SD)	df	t मूल्य	परिणाम
कामकाजी माताओं के विद्यार्थी	80	92.11	6.88	158	2.64	0.01 स्तर पर सार्थक
घरेलू माताओं के विद्यार्थी	80	89.44	6.05			

Total = 160

स्वतंत्र अंश 158, 0.01 स्तर पर सार्थक

मध्यमान का ग्राफीय प्रदर्शन

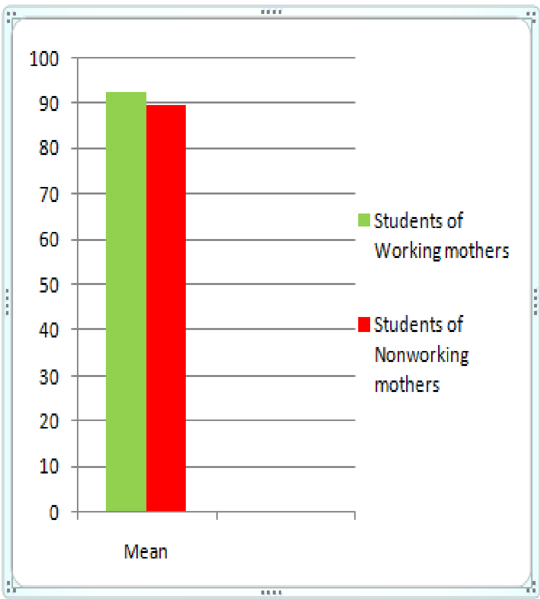

उपरोक्त तालिका के अनुसार हायर सेकेण्डरी के कामकाजी माताओं तथा घरेलू माताओं के विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि के मध्य ''टी'' मूल्य 2.64 प्राप्त हुआ जो 0.01 स्तर पर सार्थक है अतः यह स्पष्ट है कि कामकाजी माताओं व घरेलू माताओं के हायर सेकेण्डरी स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि में सार्थक अंतर है । अतः हमारी यह परिकल्पना अस्वीकृत होती है ।

अतः कहा जा सकता है कि माताओं का कामकाजी होना उनके विद्यार्थियों के संवेगों पर धनात्मक प्रभाव डालता है । क्योंकि कामकाजी माताओं के विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के साथ–साथ अपने घर की जिम्मेदारियों का भी निर्वहन अपनी सांवेगिक बुद्धि द्वारा करते हैं । घर पर माता के न होने पर वे पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने घर के आवश्यक कार्य को पूरा करते हैं । राय (2007) ,यादव (2009) एवं दुबे, (2011) द्वारा अपने अध्ययनों मे प्राप्त निष्कर्ष वर्तमान परिणामों की पुष्टि करते है।

निष्कर्ष :

किशोरावस्था में संवेगों का वेग बहुत अधिक प्रबल होता है इनके संवेगात्मक व्यवहार में अस्थिरता देखने को मिलती है । इस कारण से किशोरावस्था में संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करना आवश्यक है इसमें माता–पिता व गुरूजनों को इन्हें पूरी–पूरी सहायता करनी चाहिए। विशेषकर माता का स्थान प्रमुख है माताओं की कार्यशील भूमिका इस समय की आवश्यकता है इसे नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए इन्हें अपने कार्यों में दोहरी भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है तथा इनमें तनाव ज्यादा पाया जाता है । यदि ये मातायें अपनी संतानों को समय–समय पर मार्गदर्शन या स्नेह का ध्यान नहीं देती तो उनके बच्चों की संवेगात्मक बुद्धि में कमी आ जाती है जो आने वाले समय में यह बेहद जटिल समस्या का रूप ले सकता है। अतः माताओं को चाहिए कि वे कामकाजी हों या घरेलू अपने बालक/बालिकाओं को वयोवृत समय प्रदान करें, जिससे कि उनका संवेगात्मक विकास स्वमेव होगा।

कामकाजी माताओं के विद्यार्थियों की तुलना में घरेलू माताओं के विद्यार्थियों में अपेक्षाकृत संवेगात्मक बुद्धि कम पायी जाती है। अतः इन विद्यार्थियों में संवेगात्मक बुद्धि का विकास करने हेतु अभिभावकों व शिक्षकों को प्रयास करना चाहिये तथा यह कोशिश करनी चाहिए कि उनमें संवेगात्मक बुद्धि किस प्रकार विकसित की जाये जिससे वे संवेगात्मक बुद्धि का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में कर सकें एवं अपना व देश के विकास में सहयोग प्रदान कर सकें ।

संदर्भ :

राय, प्रज्ञा (2010) ''*कामकाजी* माता व घरेलू माता के बालक व बालिकाओं के समायोजन एवं शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन ।''लघुशोध प्रबंध पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छ.ग.

यादव, कंचन लता (2009) ''कामकाजी एवं घरेलू महिला अभिभावकों के हाईस्कूल तथा सेकेण्डरी स्तर पर अध्ययनरत बालक–बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य का तुलनात्मक अध्ययन ।'' लघुशोध प्रबंध पं. रविशंकर शुक्लविश्वविद्यालय रायपुर छ.ग.

दुबे, कल्पना (2011)''कामकाजी माता व घरेलू माता की किशोर बालिकाओं में संवेगात्मक परिपक्वता तथा शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन'' – लघुशोध प्रबंध पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छ.ग.

ऐरिक और राबर्ट (1988) ''सामान्य छात्रों के संवेगात्मक विकास और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालक–बालिकाओं की सफलता और असफलता की परिकल्पनाओं पर अध्ययन www.corporatetrainingmaterials.com 26.02.2015 ,5PM.

हाफमेन (1960) ''माता की नौकरी व बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन।''www.corporatetrainingmaterials.com 26.02.2015 ,5PM.

मेलेनटोस, केली.एल. (1975) 'कामकाजी माताओं के विपरीत घरेलू माताओं का उनके बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन ।'' www.corporatetrainingmaterials.com 26.02.2015 ,5PM.

Mind and Society ISSN 2277-6907
Vol. 7, No.I & II, March & Jun 2018 Page 21-24

सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि में परिवेश एवं लिंग के आधार पर अध्ययन

(गोंड जनजाति के विद्यार्थियों के विशेष संदर्भ म)

*श्रीमती मंजुषा नामदेव
**डॉ. प्रमोद कुमार नायक

Received 14 April 2018 | Reviewed 20 April 2018 | Accepted 30 April 2018

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य गोंड जनजाति के विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का परिवेश तथा लिंग के आधार पर अंतर ज्ञात करना है। इस अध्ययन के लिये न्यादर्श के रूप में गोंड जनजाति के कक्षा आठवीं के 800 विद्यार्थियों के चयन में स्तरीकृत गैर आनुपातिक यादृच्छिक विधि का उपयोग किया गया। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के मापन के लिये प्रो.आर.पी.वर्मा, प्रो.पी.सी. सक्सेना तथा डॉ.(श्रीमती) उषा मिश्रा द्वारा निर्मित सामाजिक आर्थिक स्तर सूची पत्र का प्रयोग किया गया। आंकड़ों के विश्लेषण के लिये मध्यमान, प्रमाणिक विचलन तथा टी–मूल्य का उपयोग किया गया। परिणाम में पाया गया कि परिवेश के आधार पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर में सार्थक अंतर पाया गया। किंतु लिंग के आधार पर उनके सामाजिक आर्थिक स्तर में सार्थक अंतर नहीं देखा गया।

स्थानीय जनजाति समूहों को एक ऐसी समवाय जनजाति कहा जाता है जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करती है। एक सामान्य भाषा का प्रयोग करती है तथा जिनकी एक सामान्य संस्कृति होती है। ये आदिवासी अधिकतर सीमांत प्रदेशों, पर्वत श्रृंखला एवं निर्जन क्षेत्रों में निवास करते हैं। संपूर्ण विश्व में अफ्रीका के बाद सर्वाधिक आदिवासी जनजाति मध्यप्रदेश में निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में मध्यप्रदेश का स्थान प्रथम है। मध्यप्रदेश के आदिवासी मुख्यतः 2 प्रजातियों के है उत्तरी क्षेत्र एवं नर्मदा घाटी के लोग, दक्षिणी क्षेत्र के आदिवासी गोडवाना जनजाति के है।

मनुष्य का जन्म विकास और संस्कृतिकरण परिवार से ही प्रारंभ होता है और उसी परिवार के प्रसार से ही समस्त राष्ट्र का निर्माण होता है। समाज शास्त्रियों का मत है कि परिवार समाज रूपी भवन के मील का पत्थर है। यह सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई है।

सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से तात्पर्य किसी व्यक्ति के आर्थिक तथा सामाजिक स्तर से है। यह स्तर व्यक्तिगत व पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आधारित होता है। किसी व्यक्ति का सामाजिक व आर्थिक स्तर उसके तथा परिवार की आय, शिक्षा तथा व्यवसाय पर आधारित होता है। सामाजिक आर्थिक

* सहायक प्राध्यापक, स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय, हुडको भिलाई (छ.ग.)
** प्रोफेसर एवं अधिष्ठाता, शिक्षा शास्त्र, डॉ. सी.वी.रमन विश्वविद्यालय, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठभूमि का निर्धारण किसी परिवार के आर्थिक स्तर के आधार पर किया जाता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति को तीन वर्गों में बांटा गया है: उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति, मध्यम सामाजिक आर्थिक स्थिति तथा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति।

बैरी (2006) ने पाया कि विद्यार्थी के प्राप्तांकों को चार भाग मॉडल – छात्र भूमिका प्रदर्शन, विद्यालय, परिवार, पड़ोसी आदि प्रभावित करते हैं। **शाह (2012)** ने पाया कि सृजनात्मकता का सामाजिक आर्थिक स्तर से सकारात्मक संबंध पाया गया। छात्र और छात्राओं की सृजनात्मकता के बीच सार्थक अंतर पाया गया। सामाजिक आर्थिक स्तर के परिप्रेक्ष्य में छात्र और छात्राओं के मध्य सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

वेल्लीमलाय (2012) के अध्ययल में यह परिणाम निकला कि विद्यार्थियों के अभिभावकों का सामाजिक आर्थिक स्तर उच्च था और वे अपने बच्चो को घर में भी बेहतर शिक्षा और मूल्यनिष्ठ वातावरण प्रदान करते थे। **सुब्बुराम एवं सय्यनम (2000)** ने ज्ञात किया कि जिन विद्यार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न है उनकी सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। **आमिन (2013)** के परिणाम यह बताते हैं कि कम टीवी दर्षक किशोरों की भारी टीवी दर्षक समूह की तुलना में उच्च शैक्षिक उपलब्धि रही। दूसरी ओर भारी और कम टीवी दर्शक का लिंग के आधार पर शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं पाया गया। **इसू (2000) एवं फान (2008)** ने पाया कि उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले पालक अपने बच्चों को समस्त सुविधायें जैसे रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाऐं, टीवी, खिलौने, पुस्तकालय आदि सीखने की सामग्रियाँ उपलब्ध कराते हैं उनके बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि उच्च होती है। वहीं निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले पालकों के बच्चों को आहार और अन्य दैनिक सुविधाओं में कमी की पूर्ति करने में ही अपना धन लगाते हैं जो उनके बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि और विकास की दर को धीमा कर देती है।

उद्देश्य:

✪ गोंड जनजाति के शहरी एवं ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर में अंतर ज्ञात करना।

✪ गोंड जनजाति के छात्र एवं छात्राओं के सामाजिक आर्थिक स्तर में अंतर ज्ञात करना।

परिकल्पना

✦ H_{01} गोंड जनजाति के शहरी एवं ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों के सामाजिक–आर्थिक स्तर में सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

✦ H_{02} गोंड जनजाति के छात्र एवं छात्राओं के सामाजिक–आर्थिक स्तर में सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

न्यादर्श:

प्रस्तुत अध्ययन में दुर्ग एवं राजनांदगाँव के कक्षा आठवीं के 800 गोंड विद्यार्थियों का चयन उद्देश्यपूर्ण गैर आनुपातिक यादृच्छिक विधि से किया गया है।

उपकरण:

प्रस्तुत अध्ययन में सामाजिक आर्थिक स्तर के मापन के लिये उपकरण के रूप में **प्रो.आर.पी. वर्मा, प्रो.पी.सी.सक्सेना तथा डॉ. (श्रीमती) उषा मिश्रा** द्वारा निर्मित **सामाजिक आर्थिक स्तर सूची पत्र** का प्रयोग किया गया है।

सांख्यिकीय विश्लेषण

प्रस्तुत अध्ययन में सांख्यिकीय विश्लेषण के रूप में मध्यमान, प्रमाणिक विचलन एवं टी–मूल्य का उपयोग किया गया है।

प्रस्तुत परिकल्पना की जाँच हेतु ग्रामीण एवं शहरी परिवेश के कक्षा 8वीं के गोंड जनजाति के 800 छात्र – छात्राओं को चयनित किया गया है। आंकड़ों के स्पष्टीकरण के लिये मध्यमान, प्रमाणिक विचलन तथा टी मूल्य की गणना की गई जिसे अधोलिखित तालिका क्रमांक 1 में दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक 1
शहरी एवं ग्रामीण परिवेश के गोंड जनजाति के विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर का सांख्यिकीय विश्लेषण

क्र.	सामाजिक आर्थिक स्तर	N	M	SD	टी–मूल्य
1-.	शहरी परिवेश	400	44.73	10.45	3.60
2-.	ग्रामीण परिवेश	400	42.36	7.95	
df = 798, P < 0.01, सार्थक अंतर					

उपरोक्त तालिका क्रमांक 1 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि शहरी परिवेश के गोंड जनजाति के कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्तर का मध्यमान **44.73**व प्रमाणिक विचलन **10.45**तथा ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर का मध्यमान **42.36** व प्रमाणिक विचलन **7.95** है तथा दोनों के मध्य टी मूल्य **3.60** प्राप्त हुआ जो कि स्वतंत्रता की कोटी 798 पर **0.01**सार्थकता स्तर पर सारणी मान (2.56) से अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि शहरी एवं ग्रामीण परिवेश के सामाजिक आर्थिक स्तर में सार्थक अंतर पाया गया।

अतः हमारी परिकल्पना " **गोंड जनजाति के शहरी एवं ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्तर में सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।" अस्वीकृत होती है।**

इसका कारण यह है कि शहरी परिवेश के विद्यार्थियों को शिक्षा की उचित सुविधायें प्राप्त होती है किंतु ग्रामीण परिवेश में सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधायें उपलब्ध नहीं हो पाती है। साथ ही साथ ग्रामीण परिवेश में पालक अशिक्षित होते हैं। वे सदैव खेती पर ही निर्भर रहते हैं, और अपने दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये प्रयासरत् रहते हैं, तथा अपने बच्चों को भी आर्थिक सहायता करने के लिये काम पर भेजते हैं। इसके साथ साथ गोंड जनजाति के ग्रामीण परिवेश के बच्चे अधिकांशतः जंगल में निवास करते हैं जिनका मुख्य रोजगार जंगल से सामग्री एकत्रित करना, खेती करना, दस्तकारी का कार्य करना, जानवर चराना, आदि होता है। इसलिये उनकी आमदनी भी ज्यादा नहीं होती है। जिसके कारण उनकी सामाजिक आर्थिक स्तर अच्छा नहीं होता है। इसलिये दोनों परिवेश के विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर में सार्थक अंतर पाया जाता है।

तालिका क्रमांक 2
लिंग के आधार पर गोंड जनजाति के विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर का सांख्यिकीय विश्लेषण

क्र.	सामाजिक आर्थिक स्तर	N	M	SD	टी–मूल्य
1.	छात्र	400	43.27	8.18	0.69
2.	छात्रा	400	43.72	10.18	
df = 798, P > 0.05, सार्थक अंतर नहीं					

उपरोक्त तालिका क्रमांक 2 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि गोंड जनजाति के कक्षा 8वीं के छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्तर का मध्यमान 43.27 व प्रमाणिक विचलन 8.18 तथा छात्राओं के सामाजिक आर्थिक स्तर का मध्यमान 43.725 व प्रमाणिक विचलन 10. 18 है तथा दोनों के मध्य टी मूल्य 0.69 प्राप्त हुआ जो कि स्वतंत्रता की कोटी 798 पर 0.01 सार्थकता स्तर पर सारणी मान (1.98) से कम है। इससे स्पष्ट होता है कि छात्र एवं छात्राओं के सामाजिक आर्थिक स्तर में सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

अतः हमारी परिकल्पना " **गोंड जनजाति के छात्र एवं छात्राओं विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्तर में सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।" स्वीकृत होती है।**

इसका कारण यह है कि छात्र एवं छात्राओं के सामाजिक आर्थिक स्तर में सार्थक अंतर नहीं पाया गया क्योंकि उनके माता पिता स्वयं अशिक्षित होते हैं तथा वे अपने पाल्यों को शिक्षा के लिये प्रेरित नहीं कर पाते अपितु वे अपने ही व्यवसाय में अपने बच्चों को भी भाग लेने को कहते हैं।

संदर्भः

एशु एवं फैन (.2008).माता–पिता का सामाजिक आर्थिक स्थिति का छात्र की शैक्षिक उपलब्धियों के बीच संबंध पर अध्ययन.www.questia.com/leb/journal/IP3-2723967591

बैरी, जे. (2006). वैयक्तिक शैक्षिक उपलब्धि पर षालेय सामाजिक आर्थिक स्थिति के प्रभाव का अध्ययन *लघुशोध प्रबंध, विचिता विश्वविद्यालय.*

शाह, बी. (2012).*इंडियन जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च.* **2(2).**

सुब्बुराम, सी. एवं अनंतसय्यनम (2000). ***इंटरनेशनल जर्नल लैंग्वेज सोसाइटी एंड कल्चर.***

वल्लीमलाय,एस.के. (2012).***इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एकैडमिक रिसर्च इन बिजनेस एंड सोशल सांइस.*** **2(8).**

Mind and Society ISSN 2277-6907
Vol. 7, No. I & II , March & Jun 2018 Page 25-28

मानसिक स्वास्थ्य का परिवेश एवं लिंग के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन

*कु. दुर्गावती मिश्रा
**डॉ. प्रमोद कुमार नायक

Received 13 May 2018 | Reviewed 17 May 2018 | Accepted 20 May 2018

व्यक्ति किसी भी तरह की मानसिक बीमारी से मुक्त होता है तो उसे मानसिक रूप से स्वस्थ समझा जाता है और उसकी इस अवस्था को मानसिक स्वास्थ्य की संज्ञा दी जाती है प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का परिवेश एवं लिंग के आधार पर अध्ययन करना है। न्यादर्ष के रूप में दुर्ग एवं रायपुर जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के 800 विद्यार्थियों का चयन गैर आनुपातिक स्तरीकृत यादृच्छिक विधि से किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य के मापन के लिये प्रमोद कुमार द्वारा निर्मित मानसिक स्वास्थ्य मापनी का उपयोग किया गया। शुन्य परिकल्पना के सत्यापन हेतु आंकड़ों के विष्लेशण के लिये सांख्यिकीय के रूप में मध्यमान, प्रमाणिक विचलन एवं टी–मूल्य का उपयोग किया गया है। अध्ययन के परिणाम बताते है कि जहां विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर शहरी एवं ग्रामीण परिवेश का कोई सार्थक प्रभाव नही देखा गया वहीं लिंग का सार्थक प्रभाव रहा। परिणामों से ज्ञात होता है कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का स्तर छात्राओं से अधिक पाया गया।

भूमिकाः

वर्तमान वैज्ञानिक युग में राष्ट्र की उन्नति उसके शैक्षिक तंत्र पर निर्भर करती है। आवाज़ एवं गुणात्मक शैक्षिक तंत्र के बिना कोई भी राष्ट्र विकसित देशों की श्रृंखला में स्थान नहीं पा सकता। शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है, जो पालने से प्रारंभ होकर जीवन के अंत तक चलती है। भारत जैसे विकासशील देश में प्रत्येक क्षेत्र में लगभग संसाधनों की अत्यंत कमी होती है जो व्यक्ति को अपने जीवनकाल में आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कठिनता महसूस कराती है।

सामान्यतः यह समझा जाता है कि जब व्यक्ति किसी भी तरह की मानसिक बीमारी से मुक्त होता है तो उसे मानसिक रूप से स्वस्थ समझा जाता है और उसकी इस अवस्था को मानसिक स्वास्थ्य की संज्ञा दी जाती है लेकिन कुछ चिकित्सकों का मत है कि मानसिक स्वास्थ्य को मानसिक बीमारी की अनुपस्थिति कहना बहुत ही उपयुक्त नहीं दिख पड़ता है क्योंकि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में भी कभी–कभी मानसिक बीमारी के लक्षण जैसे आवेगशीलता, सांवेगिक अस्थिरता,

** सहायक प्राध्यापक, स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय, हुडको भिलाई (छ.ग.)*
*** प्रोफेसर एवं अधिष्ठाता, शिक्षा शास्त्र, डॉ. सी.वी.रमन विश्वविद्यालय, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)*

अनिद्रा आदि के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। कार्ल मेनिगर (1945) के अनुसार "मानसिक स्वास्थ्य अधिकतम खुशी तथा प्रभावशीलता के साथ वातावरण एवं उसके प्रत्येक दूसरे व्यक्ति के साथ मानव समायोजन है – वह एक संतुलित मनोदशा, सतर्क बुद्धि, सामाजिक रूप से मान्य व्यवहार तथा एक खुशमिजाज बनाए रखने की क्षमता है।"

मित्तल (2008) ने उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि का मानसिक स्वास्थ्य पर परिवेश के संबंध पर अध्ययन किया। किंग एवं चावला (2009) ने ग्रामीण परिवेश के किशोर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर अध्ययन किया। आर्या एवं गुनेल (2011) ने किशोरों के सांवेगिक स्वास्थ्य पर स्कूल के वातावरण के कारण पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया। कटचर एश्लेबी (2012) ने मानसिक स्वास्थ्य एवं शाला वातावरण माध्यमिक शालाएँ, प्रगति एवं देखभाल के तरीके पर अध्ययन किया। विश्वनाथ (2014) ने किशोर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर लिंग, परिवेश एवं परिवार के प्रकार के प्रभाव पर अध्ययन किया।

उद्देश्य:

✦ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का परिवेश के आधार पर अंतर का अध्ययन करना।

✦ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का लिंग के आधार पर अंतर का अध्ययन करना।

परिकल्पना:

✦ $\mathbf{H_{01}}$ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य में परिवेष के आधार पर सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

✦ $\mathbf{H_{02}}$ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य में लिंग के आधार पर सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

न्यादर्श:

प्रस्तुत शोध में न्यादर्श के रूप में दुर्ग एवं रायपुर जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के 800 विद्यार्थियों का चयन गैर आनुपातिक स्तरीकृत यादृच्छिक विधि से किया गया है।

उपकरण:

प्रस्तुत शोध में मानसिक स्वास्थ्य के मापन के लिये प्रमोद कुमार द्वारा निर्मित मानसिक स्वास्थ्य मापनी का उपयोग किया गया।

सांख्यिकीय विश्लेषण:

प्रस्तुत शोध में आंकड़ों के विश्लेषण के लिये सांख्यिकीय के रूप में मध्यमान, प्रमाणिक विचलन एवं टी–मूल्य का उपयोग किया गया है।

परिणामों की विवेचना:

प्रस्तुत परिकल्पना की जाँच हेतु दुर्ग एवं रायपुर जिले के 800 ग्रामीण एवं शहरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं को चयनित किया गया है। आंकड़ों के स्पष्टीकरण के लिये मध्यमान, प्रमाणिक विचलन तथा टी मूल्य की गणना की गई जिसे अधोलिखित तालिका क्रमांक 1 – 2 में दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक 1
शहरी एवं ग्रामीण परिवेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का सांख्यिकीय विश्लेषण

क्र..	परिवेश	N	M	SD	टी–मूल्य
1.	शहरी परिवेश	400	19.34	5.355	0.51
2.	ग्रामीण परिवेश	400	19.53	5.00	
df = 798, P > 0.05, सार्थक अंतर नहीं					

उपरोक्त तालिका क्रमांक 1 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि शहरी परिवेश के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का मध्यमान **19.34** व प्रमाणिक विचलन **5.355** तथा ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का मध्यमान **19.53** व प्रमाणिक विचलन **5.00** है तथा दोनों के मध्य टी मूल्य **0.51** प्राप्त हुआ जो कि स्वतंत्रता की कोटी **798** पर **0.05** सार्थकता स्तर पर सारणी मान (**1.98**) से कम है। इससे स्पष्ट होता है कि शहरी एवं ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य में सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

अतः हमारी परिकल्पना **"उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य में परिवेश के आधार पर सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।" स्वीकृत होती है।**

इसका कारण यह हो सकता है कि माता–पिता चाहे वे ग्रामीण परिवेश के हों या शहरी परिवेश के वे अपने बच्चों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं तथा उनकी उचित परवरिश करते हैं, जिससे की बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसके साथ साथ दोनों परिवेष के पालक यह प्रयास करते हैं कि उनके पाल्यों को अच्छा पारिवारिक वातावरण मिले जिनसे उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो।

तालिका क्रमांक 2
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों (छात्र–छात्राऐं) के मानसिक स्वास्थ्य का सांख्यिकीय विश्लेषण

क्रं.	लिंग	N	M	SD	टी–मूल्य
1.	छात्र	400	20.26	5.45	4.55
2.	छात्राऐं	400	18.615	4.74	
df = 798, P < 0.01 सार्थक अंतर					

उपरोक्त तालिका क्रमांक **2** के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का मध्यमान **20.26** व प्रमाणिक विचलन **5.45** तथा छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य का मध्यमान **15.61** व प्रमाणिक विचलन **4.74** है तथा दोनों के मध्य टी मूल्य **4.55** प्राप्त हुआ जो कि स्वतंत्रता की कोटी **798** पर **0.01** सार्थकता स्तर पर सारणी मान (**2.56**) से अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि छात्र एवं छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य में सार्थक अंतर पाया गया।

अतः हमारी परिकल्पना **"उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य में लिंग के आधार पर सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।" अस्वीकृत होती है।**

उपरोक्त परिणामों से ज्ञात होता है कि छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य छात्राओं से अधिक पाया गया क्योंकि भारतीय परिवेश में छात्रों को शिक्षा, सुविधायें आदि सभी प्राप्त होते हैं, किंतु आज भी कुछ पुरानी मानसिकता वाले पालक छात्र एवं छात्रा में भेद करते हैं, जिनसे की छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य में अंतर पाया जाता है।

संदर्भः

Kang, T. & Chawala, A. (2009). Mental health: A study of rural adolescents. ***Journal of All India Association for Educational Research,*** 21 (1), 81 – 82.

Kornhauser, A. (1965). **Mental health of the industrial worker: A Detroit study:** New York: Wiley.

Kutcher, S. Weiy (2012). Mental health and the school environment secondary school, promotion and pathways to care. ***Curropin Psychiatry*,** 25(4), 311 – 316.

Mittal (2008). Academic achievement of secondary level students in relation to their mental health and locality.***Journal of Teacher Education and Research*,** 8 (10), 10 – 16.

Viswanatha, P. (2014). Impact of gender locality and type of family oh mental health among adolescents.*GJPA* – ***Global Journal for Research Analysis*,** 3(1), 68– 70.

.

Whittaker, J.O. (1970). **Introduction to Psychology**. *Tokyo:* ***W.B. Saunders Company.***

✦

Mind and Society ISSN 2277-6907
Vol. 7, No. I & II , March & Jun 2018 Page 29-32

रायगढ़ रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना तथा संवैधानिक विकास

(स्वतंत्रता प्राप्ति पूर्व)

*डॉ. ऋषिराज पाण्डेय

Received	Reviewed	Accepted
15 March 2018	03 March 2018	26 March 2018

रायगढ़ रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना तथा संवैधानिक विकास (स्वतंत्रता प्राप्ति हुई)

रायगढ़ रियासत का प्रारंभिक इतिहास बहुधा स्पष्ट नहीं है तथापि परंपरागत सूचनाओं के आधार पर रायगढ़ का राजवंश चांदा महाराज के राज गोड़ राजवंश से संबंध रखता है। रियासत के संस्थापक मदन सिंह थे। रायगढ़ रियासत के शासक रतनपुर के हैदयवंशी शासक महराजा पटना, महराजा संबलपुर मराठे तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता में शासन किये पश्चात भारत की आजादी के समय भारतीय संघ में विलीन हो गई।

रायगढ़ विरासत का प्रशासन राजा केन्द्रीय संख्या दरबार के माध्यम से संचालित कदम था। दीवान तथा सहायक दीवान उसके सहयोगी थे। प्रशासन को खुशनुरूप संवारने शासन परिषद, राज्य परिषद कार्यकारिणी परिषद और विधानसभा का गठन किया गया।

रायगढ़ रियासत का प्रारंभिक इतिहास बहुत स्पष्ट नहीं है, तथापि परंपरागत सूचना के आधार पर रायगढ़ का राजवंश चांदा (महाराष्ट्र) के राजगोड़ राजवंश से संबंध रखता है। रियासत का संस्थापक मदन सिंह चांदा जिले के एक गांव वैरागढ़ से यहां आया था। वह सर्वप्रथम रायपुर जिले के फुलझर नामक स्थान पर रूका जहां उसका मामा निवास करता था यहां से वह बांगा (रायगढ़ रियासत का एक गांव बुनगा) चला गया। कुछ कारणवश उसने बांगा का भी त्याग कर दिया और रायगढ़ चला आया तथा फिर लौटकर उसके सीमा तक में पैर नहीं रखा जिसे त्यागकर वह रायगढ़ चला आया था। इस तरह मदन सिह ने इस वंश की नींव डाली।[1] रायगढ़ रियासत के शासन वास्तविक स्वतंत्र सत्ता की उपयोग कभी नहीं कर सके। प्रारंभ में वे रतनपुर के हैहयवंशी शासकों के अधीन थे तथा उन्हें वार्षिक नजराना या कर का भुगतान करते थे कालांतर में यह रियासत क्रमशः महाराजा पटना और महाराज संबलपुर की अधीनता में चली गई तथा इनकी गणना संबलपुर के अठारह गढ़जात राज्यों में की जाने लगी। जब मराठों में अठारहवीं शताब्दी के मध्यम छत्तीसगढ़ पर भ्रमण किया तथा मराठों की अधीनता में आ गई तथा यहां के शासक मराठों को वार्षिक टकोली अदा करने लगे।

19वीं शताब्दी के प्रारंभ जब नागपुर के भौरालों की शक्ति कमजोर होने लगी थी तो स्थिति का लाभ उठाकर रायगढ़ के तत्कालीन शासक जुझार सिंह ने सन् 1800 में अंग्रेज के साथ राजनैतिक संबंध किये। परिणामस्वरूप रायगढ़ रियासत मराठों की अधीनता के

*सहायक प्राध्यापक, इतिहास, शासकीय गजानंद अग्रवाल, स्नातकोत्तर महाविद्यालय भटापारा (छ.ग.)

निकल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता में आई। तब से लेकर भारतीय संघ के विलय होने तक यह रियासत ब्रिटिश सरकार एवं भारत सरकार की अधीनता में बनी रही। अधीनता को सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा सन् 1867 ई. तथा 1937 ई. में रायगढ़ रियासत का सनद देकर सामती रियासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई।

रायगढ़ रियासत का परसीमन राजा के अधीन बना रहा। यह एक केन्द्रीय संस्था द्वारा जिसे दरबार कहा जाता था। संचालित होता था दरबार में राजा दीवान सहायक दीवान तथा विभिन्न शासन परिषदे संभावित थी, जिसका संबंध संपूर्ण प्रशासन से था।[2]

राजा अपने दरबार प्रधान एवं प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। एक प्रकार से राजा की स्थिति रियासत के संवैधानिक प्रमुख की तरह होती थी। प्रशासनिक कार्यो में राजा की सहायता के लिए दीवान और सहायक दीवान होते थे।[3]

चूंकि ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त था कि कुप्रशासन की स्थिति में रियासत का प्रशासन कोर्ट आफ वार्डस के अंतर्गत ले लिया जायेगा, अतः अनेक राजा अपनी ओर से प्रशासनिक कार्यो के प्रति जागरूक होते थे। यथा रायगढ़ रियासत में राजा भूपदेव सिंह तथा उनके दीवान जयाराम मिश्र ने अपनी प्रशासनिक योग्यता के रियासत के प्रशासन में सुधार कर कृषि, व्यापार और वाणिज्य के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां निर्मित की। उनकी प्रशासनिक योग्यता तथा अर्जित सफलताओं की प्रशंसा तत्कालीन ब्रिटिश अधिकारियों ने भी की।[4] इसके पूर्व रघुनाथ तथा यादोराव ने दीवान के रूप में अपने दायित्वों का सम्यक रूप से निवर्हन किया था।[5]

तथापि राजा नटवर सिंह के कार्यकाल में सन् 1917 से इस रियासत का प्रबंध कोर्ट ऑफ वार्डस के अंतर्गत रहा। अतः इस अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी क्रमशः आत्मराम साहू[6] (1917) रावसाहब ठाकुर उमराव सिंह [7] (1918), खान साहब अकबर खां [8] (1922) तथा पंडित गौरीशंकर अग्निहोत्री[9] ने प्रशासक के रूप में कार्य कर राजा तथा दीवान की शक्तियों का प्रयोग किया। सन् 1928 में गौरीशंकर अग्निहोत्री के अवकाश पर चले जाने के कारण कुछ समय के लिए रामानुज प्रसाद इस रिसायत के प्रशासक रहे।[10] इस अवधि में अलपवयस्क राजा चक्रधर सिंह के प्रशिक्षण हेतु ब्रिटिश सेवा में कार्यरत तहसीलदार परमानंद चौबे को राजा का प्रशिक्षण नियुक्त किया गया।[11] राजा चक्रधर सिंह के कार्यकाल में बलदेव प्रसार मिश्र डी. लिट अत्यंत लोकप्रिय दीवान थे, वे 1939–40 तक इस पद पर रहे उनकी प्रशासनिक प्रतिभा से रियासत को काफी लाभ हुआ, जो प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति हुई।[12] तत्पश्चात रायबहादुर एम.जी.र्धु एम.ए. एल.एल.बी. राजोराज सिंह बी.ए.एल.एल.बी. तथा जे.एन. महंत वार एट ला. रियासत के दीवान रहे। सन् 1945 में बी.एन. घोषाल इस रियासत में सहायक दीवान के पद पर कार्यरत थे।[13]

प्रशासन को युगानुरूप संवारने के उद्देश्य से आधुनिक संस्थाओं की तरह कुछ प्रशासनिक संस्थाओं का निर्माण उनके द्वारा किया गया।[14] यथा–शासन परिषद राज्य परिषद कार्याकारिणी परिषद और विधानसभा।

रायगढ़ रियासत में सर्वप्रथम राजा चक्रधर सिंह के कार्यकाल में सन् 1939 से शासन परिषद नामक संस्था का गठन किया गया।[15] जो रियासत के संपूर्ण प्रशासन तथा शासनतंत्र के संचालन के लिये उत्तरदायी थी। इस परिषद में राजा के अतिरिक्त दो अन्य सदस्य क्रमशः रियासत के दीवान अलदेव प्रसार मिश्र (अर्थ सचिव के रूप में) तथा राजा के निजी सचिव पं. लक्ष्मण प्रसाद मिश्र (गृह सचिव के रूप में) थे। राजा की अनुपस्थिति में दीवान इस परिषद की अध्यक्षता करता था। राजा का सचिव परिषद का पदेन सचिव था। प्रशासनिक नियंत्रण एवं संचालन हेतु राज्य के समस्त 12 विभागों में से क्रमशः राजनैतिक, कानून एवं न्याय, वित्त शिक्षा, पुलिस का तथा लोक निर्माण विभाग दीवान तथा गृह उद्योग एवं वाणिज्य आबकारी तथा लोक स्वास्थ्य विभाग सचिव के सीधे प्रभार रखे गये थ।

फरवरी 1945 में तात्कालीन पोलिटिकल एजेन्ट डी. एच. विरकोई द्वारा शासन परिषद के स्थान पर राज्य

परिषद का गठन किया गया।[16] इस परिषद में तीन सदस्य थे। रियासत के दीवान जे.एन. महन्त– विकास सदस्य, रियासत के सहायक दीवान– बी.एन. घोषाल–सामान्य सदस्य तथा सहायक पोलिटिकल एजेन्ट राय साहब एस.के. मैत्रा– वित्त सदस्य। ब्रिटिश नियंत्रण के कारण ही वित्त विभाग सहायक पोलिटिकल एजेन्ट को सौंपा गया था। ब्रिटिश नियंत्रण में राज्य परिषद कार्य करती रही, किन्तु राजा को पुनः शासनाधिकार प्राप्त होते ही इस परिषद का अंत हो गया।

रियासती जनता को उत्तरदायी शासन प्रदान करने के उद्देश्य से राजा चक्रधर सिंह द्वारा जून 1947 में कार्यकारिणी परिषद नामक संस्था का गठन किया गया।[17] इस प्रकार राजा चक्रधर सिंह के द्वारा पहली बार रियासत के प्रशासन में लोक प्रतिनिधित्व को महत्व दिया गया।

प्रशासन में प्रजा को भागीदारी प्रदान करने के उद्देश्य से विधान निर्मात्री संस्था के रूप में वर्ष 1939 में प्रजा परिषद नामक संस्था रायगढ़ रियासत में गठित की गई।[18] इसमें ग्रामीण क्षेत्र के 11 तथा शहरी क्षेत्र के 9 अर्थात कुल 20 सदस्य थे। सदस्यों का चुनाव रियासत की जिला परिषद तथा नगरपालिकाओं द्वारा किया जाता था। जिला परिषदों को अपने–अपने परगनों में से एक–एक गौटिया तथा नगरपालिकाओं को अपने क्षेत्र से एक–एक व्यापारी को निर्वाचित करना आवश्यक था। परिषद का एक निर्वाचित नेता होता था, पं. शिवप्रसाद नायक इस पद पर चुने गये थे।[19] किन्तु परिषद की अध्यक्षता रियासत का दीवान ही किया करता था। निर्णय बहुमत के आधार पर लिये जाते थे, किन्तु दरबार की स्वीकृति मिलने पर ही वे मान्य होते थे। इस परिषद का कार्यकाल तीन वर्ष रखा गया था, तथापि यह 6 1/2 वर्षो तक कार्य करती रही।

जब ब्रिटिश भारत में 2 सितंबर 1946 का अतःकालीन सरकार की स्थापना हुई तो अधिकांश देशी रियासतों की तरह रायगढ़ रियासत में भी अक्टूबर 1946 में विधानसभा का गठन किया गया। जिसमें राजा के अतिरिक्त 16 निर्धारित व 8 नाम निर्देशित सदस्य थे। विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः तीन वर्ष रखा गया था। प्रतिवर्ष सभा के दो अधिवेशन होने आवश्यक थे, किन्तु विशेष परिस्थिति में राजा, सभा के विशेष अधिवेशन आमंत्रित कर सकता था। सदस्यों के निर्वाचन के लिये संपूर्ण रियासत को 7 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया था जिसमें से 16 सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा निर्वाचित किये गये थे। सभा के सदस्यों की सदस्यता एवं मतदान की पात्रता विषयक विस्तष्त नियम बनाये गये थे। इस सभा का अध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों में से नहीं वरन रियासत दीवान होता था, जो विधानसभा और शासक के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता था।

निःसंदेह विधानसभा का निर्माण एक उत्साहवर्धक कदम था इस सभा ने अपने अधिवेशन भी आमंत्रित किये थे। किन्तु इसके निर्माण के 6 महीने के अन्दर ही रियासत के स्वतंत्र भारत संघ में विलीन हो जाने के कारण इसका अंत हो गया।

संदर्भः

1. प्यारेलाल गुप्त, प्राचीन छत्तीसगढ़ पृ. 251
2. दरबार आफिस, सारंगढ़ स्टेट, फाइल नंबर ए 3–1 (2) 45
3. एवल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, रायगढ़ स्टेट, 1945 पृ. 5
4. अतुल कुमार श्रीवास्तव, रायगढ़ समूह की रियासतों की प्रशासनिक व्यवस्था, शोध प्रबंध, रविवि, रायपुर पृ. 120
5. एनुवल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, रायगढ़ स्टेट, 1894, पृ. 53
6. एनुवल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, रायगढ़ स्टेट, 1818, पृ. 25
7. एनुवल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, रायगढ़ स्टेट, 1818, पृ. 25
8. एनुवल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, रायगढ़ स्टेट, 1920, पृ.. 37
9. एनुवल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, रायगढ़ स्टेट, 1922, पृ. 33

10. एनुवल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, रायगढ़ स्टेट, 1928, पृ. 5
11. एनुवल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, रायगढ़ स्टेट, 1924, पृ. 32
12. प्रोग्रेटिव रायगढ़ 1939, पब्लिश्ड अंडर स्टेट अथॉरिटी फ्राम रिफार्म आफिस, रायगढ़ स्टेट, 1930, पृ. 1 से 18
13. एनुवल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, रायगढ़ स्टेट, 1942–44 पृ. 3 1945–46
14. प्रोग्रेटिव रायगढ़ 1939, पब्लिश्ड अंडर स्टेट अथॉरिटी फ्राम रिफार्म आफिस, रायगढ़ स्टेट, 1939,पृ. 3
15. अतुल कुमार श्रीवास्तव, रायगढ़ समूह की रियासतों की प्रशासनिक व्यवस्था शोध प्रबंध, रविवि, रायपुर, पृ.124
16. पूर्वोक्त
17. प्रोग्रेटिव रायगढ़ 1939, पब्लिश्ड अंडर स्टेट अथॉरिटी फ्राम रिफार्म आफिस, रायगढ़ स्टेट, 1939,पृ. 13
18. रायगढ़ समाचार (मासिक पत्रिका) रायगढ़ दरबार से प्रकाशित, अक्टूबर 1940, पृ. 133
19. प्रोग्रेटिव रायगढ़ 1939, पब्लिश्ड अंडर स्टेट अथॉरिटी फ्राम रिफार्म आफिस, रायगढ़ स्टेट, 1939, पृ. 13

✦

Mind and Society ISSN 2277-6907
Vol. 7, No. I & II , March & Jun 2018 Page 33-38

जनजातीय महिलाओं में राजनैतिक जागरूकता की स्थिति का अध्ययन

*डॉ.ए.के.धमगाये
* *श्री के.आर.ठाकुर

Received 20 Feb. 2018 | Reviewed 02 March 2018 | Accepted 10 March 2018

प्रस्तुत शोध पत्र में जनजातिय महिलाओं में राजनैतिक जागरूकता की स्थिति का अध्ययन राजनांदगांव जिले के छुरिया विकासखण्ड के संदर्भ में किया गया है। चुकि जनजातीय महिला जनप्रतिनिधियों को अपने पिता/पति के संरक्षण में कार्य करना पडता हैं जागरूकता के आभाव में सही गलत का फैसला न कर पाने के कारण भविष्य में होने वाली हानियों से अपरिचित रहते है। जनजातीय महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से राजनैतिक विकास के अवसर तो प्रदान किये गये है। लेकिन ऐसी स्थितियाँ निर्मित नही कि गई कि वे अवसरो का लाभ उठा सके। जनजातीय महिलाओं की राजनीतिक समस्याये विपूल और बहू प्रकार की है सबसे बडी समस्या स्वनिर्णय है। इस शोध पत्र के माध्यम से जनजातीय महिलाओं के भीतर विधमान चेतना को प्रबल बनाना जिससे वे अपने आप को सुरक्षित महसुस कर सके। समाज व देश में समानता के साथ जीवन यापन कर सकें। इस बाबत् छुरिया विकासखण्ड के जनजातीय जनप्रतिनिधियों से मिलकर साक्षात्कार प्रश्नावली के माध्यम से उनकी समस्याओं का जानकर हल निकालने का प्रयास किया गया है। अन्त में सुझावों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने प्रयास किया गया है।

मध्यप्रदेश से अधिक आदिवासी छत्तीसगढ़ में निवास करते है राजनांदगांव जिले की बात की जाय तो यहां कुल आबादी का 29.28 प्रतिशत आदिवासियों का है जिसमें महिलाओं की प्रतिशत 53.2 के आस पास है। "छुरिया विकासखण्ड में 99 ग्राम पंचायत है जिनमें आदिवासी महिलायें संरपंच के रूप में प्रतिनिधित्व कर रही है उनकी संख्या बीस है"।[1] प्राचीन समय में छुरिया विकास खण्ड की बात की जाय तो यहां के आदिवासी स्वच्छंद रूप से जीवन यापन करते थे। आवश्यक संस्कार, जन्म, मृत्यु, विवाह आदि का लोक रितियों के अनुसार करते थे। उनमें रंगभेद या दैहिक गठन या जातिवाद भी नही पाया गया।

वर्तमान समय में जहां अनूसूचित जनजाति की महिलायें सभ्यता की दौड़ में आगे आकर आधुनिक सुख सुविधाओं का प्रयोग कर रही है। उनमें से कुछ अपने पुराने ढर्रे में ही मस्त है। यू कहा जा सकता है कि वे अपनी पुरानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परम्पराओं को बदलना ही नही चाहते जिनका आज की नई पीढ़ी द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। जिससे नई एवं पुरानी पीढ़ियों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है।

*सहा. प्राध्यापक वाणिज्य शासकीय बाबा साहेब अम्बेडकर, महाविद्यालय डोंगरगांव
* *सहा. प्राध्यापक राजीतिविज्ञान शासकीय बाबा साहेब अम्बेडकर, महाविद्यालय डोंगरगांव

पंचायती राज में जनजातिय महिलाओं की सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय :

"महिलाओं को जागरूक बनाने तथा उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिये संविधान का 73 वां संशोधन इस क्षेत्र में उठाया गया एक ठोस कदम है।" [2] भारत की स्वतंत्रता के लिए जब देश में महिला नेतृत्व की बात की जाय तो यहां पर सिर्फ कुछ ही उच्च जातियों की महिलाओं की नाम सामने आती है। जबकि जनसंख्या की बहुसंख्यक पिछड़ी एवं अनुसूचित एवं जनजाति की महिलाओं को राष्ट्र की मुख्यधारा के ऊपर वर्गो से सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक विचारधाराओं में भाग लेना इनमें पुरूष अभिभावक पर ही निर्भर करता है। "महात्मा गांधी एवं डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर ने महिलाओं को न्याय दिलाने के प्रयास किये और आधार शिला रखी। इन दोनों ने जातिगत भेदभाव एवं महिलाओं की परम्परागत स्थिति में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई"[3]।

अनूसूचित जनजातीय महिलाओं के लिए सामाजिक राजनीतिक न्याय को दूसरा पक्ष पंचायती राज (13) संविधान संशोधन अधिनियम पारित होने के साथ प्रारंभ होता है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता होती है। सम्पूर्ण देश में तीनों स्तरो पर सदस्य एवं अध्यक्ष पदो के लिये महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया। जो सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी उस पर पुरूष चुनाव नही लड़ेगे इससे जिले स्तर से महिला नेतृत्व की उभरने की आशा की जा सकती है इसमें स्थानीय अनूसूचित जनजातीय महिलाओं नेताओं का जन्म होगा आगे चलकर राज्यों एवं केन्द्रीय नेतृत्य को गतिशीलता प्रदान करेगे। यद्यपि आरम्भ में इनसें ज्यादा अपेक्षा करना ठीक नहीं है। किन्तु उनमें चेतना आयेगी और राजनीतिक जागरूकता बढ़ेगी एवं पंचायत के काम में बदलाव आयेगा।

"भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में स्थानीय स्वशासन ही ग्रामीण क्षेत्रों में सच्चा लोकतंत्र स्थापित कर सकता है।" [4] लोकतंत्र की बुनियादी कड़ी नई पंचायती राज व्यवस्था में अनूसूचित जनजातीय महिलाओं के साथ सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, न्याय का बीज पड़ चुका है। किन्तु यह भी सत्य है इसमें बाधाएं है। पंचायती राज चुनाव से आरक्षित अनूसूचित जनजातीय महिलाओ की सीट से निचले स्तर पर पंच व सरपंच का चुनाव जीतकर आयी है। त्रिस्तरीय चुनाव का द्वितीय से प्रथम अवसर प्राप्त होने पर अधिकांश, अनूसूचित जनजातीय महिलाएं ऐसी होती है। जिन्हे अपने विषय में अपने आसपास जुड़े लोगों के विषय में खुद निर्णय लेने का अवसर उन्हे घर परिवार व समाज ने दिया है। इसके लिए जरूरी है कि अनूसूचित जनजातीय महिलाओं में आत्म विश्वास व नेतृत्व शक्ति कदम उठाये जाये वरना पुनः समाज यह बहाना करके कि अनपढ़ और अनुभव न होने के कारण शासन एवं विकास की जिम्मेदारी कैसे निभा सकती है। उनके इस अधिकार पर हावी न हो जाय इसके लिए महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कार्यो की जानकारी होना।

"विकास खण्ड में अनूसूचित जनजाति महिला नेतृत्व पंचायती राज व्यवस्था में अनूसूचित जनजाति की महिलाओं में नेतृत्व आरक्षण के माध्यम से उत्पन्न हुआ है। जिन सीटो पर अनूसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए पंच या सरपंच का पद आरक्षित है उन्ही पदो पर ही चुनाव लड़ते नहीं है[5]। यह अध्ययन राजनांदगांव जिले के संदर्भ में किया गया है इन महिलाओं की पारिवारिक पृष्ठ भूमि देखने पर पता चलता है कि ये आज भी कृषि कार्य पर लगे हुए है इनका अपना सुदृढ़ सामाजिक संगठन है धार्मिक सामाजिक समारोह में सम्पूर्ण जनजातीय महिलाओं का सक्रिय योगदान होता है अध्ययन से यह बात भी स्पष्ट हुई हे कि अन्य महिलाओं की अपेक्षा जनजातीय महिलाओं का विभिन्न सामाजिक धार्मिक गतिविधियों में पुरूषों के बराबर स्थान होता है किन्तु जहां राजनीति की बात आती है जनजातीय महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता आश्रित पुरूषो पर ही आकर रूक जाती है। छुरिया क्षेत्र की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनजातिय महिलाओं की समाजिक स्थिति उच्च होने के बाद भी आर्थिक और राजनैतिक आपदाओं का स्वयं प्रबंधन का नया सार्थक नेतृत्व प्रदान करने असफल रही है। इस प्रावधान के

आधार पर ग्राम पंचायत संस्थानो को संवैधानिक रूप प्रदान किया गया और समाज के तहत आने वाले समस्त वर्गो को यथोचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। ग्राम पंचायतो को विभिन्न कर्तव्यो शक्तियों एवं अधिकारो से प्रतिष्ठित किया गया है जिसका उद्देश्य पूरी व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण करते हुए सभी महत्वपूर्ण कार्यो का संचालन स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

अनूसूचित जनजातिय महिला सरपंचो द्वारा नेतृत्व ग्राम पंचायतो के कियान्वय का विश्लेषण और उसकी व्यवस्था की गयी है। इसमें ग्राम सभा ग्राम पंचायत गांवो की प्रमुख समस्या कार्य करने में आने वाली बाधाएं कल्याणकारी योजनाओं का कियान्यन से जुड़े महत्वपूर्ण मुददो को इसमें शामिल किया गया। ग्राम सभा ग्राम पंचायती राजव्यवस्था की एक ऐसी इकाई है। जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहती है वर्ष में ग्रामसभा

अनुसूचित जनजाति की महिला और पुरूष प्रतिनिधियों का परस्पर संबंध

क्र.	महिला और पुरूष प्रतिनिधियों का परस्पर संबंध	आवृति	प्रतिशत
1	बहुत अच्छे	12	11.00
2	अच्छे	62	68.88
3	सामान्य	13	18.11
4	औपचारिक	01	03.00
5	अच्छे नहीं	02	06.00

उपरोक्त सारणी के आधार पर अनूसचित जन जाति की महिला और पुरूष प्रतिनिधियों का परस्पर संबंध 68.88 उत्तरदाताओं ने सबसे अच्छा बताया। सबसे कम 03 प्रतिशत उतरदाताओं ने एक औपचारिक बताया है अतः स्पष्ट है कि अधिक उत्तरदाताओं ने इसे अच्छा कहा यह महत्वपूर्ण है।

की बैठक की गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्यों कि उपस्थिति जरूरी होती है। ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न कार्यों की स्वीकृति मिलती है कल्याणकारी योजना ग्राम पंचायत की विकास योजना हितग्राहियो का चयन होना जिसे ग्राम सभा की मंजूरी आवश्यक होती है एवं कार्यो की सामाजिक अकेक्षण भी होती है। महिलाओं को राजनैतिक मोहरा बनाया जाता रहेगा तो महिलायें स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असफल रहेगी व हमेशा आश्रित होकर कार्य करने वाली बन जावेगी उनके हित में ऐसे रचनात्मक एवं सकारात्मक अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि इनका समग्र विकास हो। छुरिया विकास खण्ड में महिला जनप्रतिनिधि से साक्षात्कार लिये गये जिसके परिणाम निम्नानुसार है।

जनपद पंचायत और जिला पंचायत के स्तर के प्रतिनिधियों संबंध

जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत स्तर के प्रतिनिधियों से संबंध			
क्र.		आवृति	प्रतिशत
1	बहुत अच्छे	06	6.66
2	अच्छे	64	71.12
3	सामान्य	16	17.77
4	औपचारिक	02	02.22
5	अच्छे नहीं है	02	02.22
	योग	90	00.0

ऊपर दी गई सारणी के आधार पर जनपद पंचायत और जिला पंचायत के स्तर के प्रतिनिधियों से संबंध स्पष्ट किया गया इसके अन्तर्गत केवल 71.12 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अच्छे बताये 17.77 प्रतिशत उत्तरदाताओं को सामान्य कहा अतः स्पष्ट है कि जनपद पंचायत और जिला पंचायत के प्रतिनिधियों से अच्छे संबंध होते है यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण मानी जा सकती है।

शासकीय अधिकारियों से संबंध :

शासकीय अधिकारियों से संबंध			
क्र		आवृति	प्रतिशत
1	बहुत अच्छे	05	5.55
2	अच्छे	58	64.45
3	सामान्य	02	02.23
4	औपचारिक	03	03.33
5	अच्छे नहीं	100	100.00
	योग–		

उपरोक्त सारणी के आधार पर शासकीय अधिकारीयों से 64.45 उत्तरदाताओं ने अच्छे बताया जबकि 25.44 प्रतिशत उत्तरदाताओं में सामान्य बताया है अतः स्पष्ट है सरपंचो का शासकीय अधिकारियों से सम्पर्क रहते है यह सही जिम्मेदारी अपने को अपनाती है।

अनूसूचित जनजातीय महिलाओं में आज के युग की माँग :

अनूसूचित जनजातीय महिलाओं में आज की युग की मांग में प्रेरणा की आवश्यकता दो प्रकार की होती है एक तो वह व्यक्ति स्वयं प्रेरित होता है ओर दूसरा जब कोई प्रेरित करता है। जब महिलायें स्वयं प्रेरित होगी तो उनके हाथ में घर परिवार समाज सभी आ जायेगी बस उन्हे एक प्रेरणा की आवश्यकता है। वे तत्काल उठकर काम में जूट जायेगें। महिला एक बार हाथ में लिया हुआ काम बीच में कभी नहीं छोड़ती पुरूष ही कोई काम बीच में छोड़ देता है जनजातीय महिलाओं में धर्म बुद्धि जागृत के कारण ही उनके हाथ में राजनैतिक काम सौपने में कोई हर्ज नही होना चाहिए।

सुझावः

महिलाये पुरूषों की लाज रखेः [4]"हमारे समाज की रचना पहले ही ऐसी बनी है कि बायी ओर स्त्रियां दाहिने ओर स्त्रियां रहती है आज हमारे समाज की स्थिति उल्टी हो गई है स्त्रियां पिछड़ गयी और पुरूष आगे बढ़ गये है सच पूछिये जो सब महिलाओं को समाज को अपने हाथ में लेना चाहिए उन्हे और समाज में आगे ले जाना चाहिए।

जनजातीय महिलाओं के मस्तिष्क में समाज सेवा कूट – कूट कर भरी रहती है। ये जो भी कार्य करेगी अच्छा ही करेगी राजनीति के क्षेत्र में अगर इनकी शक्ति का प्रयोग संतुलित ढंग से किया जाए तो देश समाज में बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है।

कुछ अलग करने की चाहः लोग उसे पागल कहते है फिर भी वह किसी की परवाह नहीं करती ऐसे ही लोग देश व समाज के लिए कुछ ऐसा कर जाते है चाहे मीराबाई हो या रामकृष्ण। रामकृष्ण ने अपनी पत्नी को देवी समझकर पूजा किया मूर्ति के सामने बैठकर जैसे सुंगध फूल से पूजा किया जाता है वैसे उन्होने किया तो पत्नी का जीवन परिवर्तन हो गया। आज आवश्यकता है, समाज में फैले नशा खोरी को दूर करने के लिए कार्य किया जाय। जैसे – पग घुंघरू बांध मीरा अमर हो गई। छत्तीसगढ़ में कलारिन बहादुर जैसे महिला जिन्होने कुछ अलग हटकर काम किया। वैसे ही आवश्यकता आज के अनूसूचित जनजाति की महिला को है।

आर्थिक स्थितियों की ओर ध्यान देनाः

आर्थिक समस्या आज भी अनूसूचित जनजाति की महिलाओं की सर्वाधिक गंभीर समस्या है इनका समाधान करने के लिए रोजगार के अवसरो में वृद्धि

करने के साथ ही स्वरोजगार की सुविधाओं को बढ़ाना आवश्यक है जनजातीय ग्रामों में सहकारी समितियों की स्थापना करके उचित मजदूरी देने ठेकेदारी तथा अधिकारियों द्वारा उनके शोषण को रोकना एवं कम ब्याज दर पर श्रमिक के लिए ऋण सुविधा देने से भी उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है जनजातीय क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियो और कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोका जाय।

सांस्कृतिक संरक्षण : जनजातीय संस्कृति की रक्षा उन्हें स्वास्थ मंनोरजन प्रदान करना आवश्यक है। जनजातीय क्षेत्रो में केवल उन्हीं अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए जो उनकी भाषा तथा संस्कृति से परीचित हो।

सामाजिक समस्याओं का सामाधानः जनजातीय महिलाओं के समस्याओं के लिए आवश्यक है कि जनजातीय नेताओं की सहायता से लोगों के विचारो और मनोवृतियों में परिवर्तन हो यह कार्य प्रत्येक गाँव और जनजातीय परिषद की स्थापना करके किया जा सकता है।

व्यवहारिक शिक्षा के प्रयासः आदिवासी महिलाओं में व्यवहारिक शिक्षा कृषि दस्तकारी, कृषि उपकरणो के निमार्ण तथा हस्तशिल्प, कढ़ाई, बुनाई सिलाई, सम्बंधित होनी चाहिए। शिक्षा के द्वारा जनजातीय क्षेत्रो में पशुपालन, मछली पालन, मुर्गोपालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, सिलाई कड़ाई को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

निष्कर्षः लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रणाली को अपनाते हुए पंचायती राज की व्यवस्था का पुर्नस्थापन किया जाना। कुल जनसंख्या में अनूसूचित जनजाति महिला आबादी के अनुरूप पंचायतो के वार्ड अनूसूचित जनजाति महिला सुरक्षित रखे जाते है। पंचायते प्रजातंत्र की प्रथम इकाई है। ग्रामीण जनजीवन के स्तर को उन्नत बनाने में पंचायतों की महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका है। उनके कर्तव्य और दायित्व व्यापक विकास की दृष्टि से सुनिश्चित किये गये है। ग्राम पंचायत के जिम्मे मुख्यतः गाँव का नगरीय प्रशासन रहता है गाँव में शुद्ध पेयजल व्यवस्था, सफाई, प्रकाश व्यवस्था घाट, सड़क व पुलियो का निर्माण व मरम्मत असहाय निराश्रितों की सहायता परिवार कल्याण वृक्षारोपण भी महिला और बाल कल्याण कार्यक्रम मुख्य कार्य है। अनूसूचित जनजाति की महिला सरपंचों द्वारा ग्राम पंचायत अपने कार्यो को करते है। ग्राम पंचायत के स्तर के समाज विभागों के विभाग कार्यक्रमों में हितग्राहियों का चयन का अनुमोदन पंचायत द्वारा किया जाता है। इसके लिये आवश्यक कर दिया गया है कि ग्राम पंचायत की बैठक प्रतिमाह चार बार हो। इसके साथ – साथ निस्तारी तलाबों का देखरेख ग्राम पंचायत करेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त करने तथा निराश्रितो की सहायता से सम्बंधित कार्य ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत की बैठक में अनुमोदित करके किया जाता है। आंगनबाड़ी में हितग्राहियों को पोषण आहार का वितरण ग्राम पंचायत की देखरेख में किया जायेगा। निस्तारी लकड़ी तथा बांस बल्ली वितरण का कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से होगा। ग्रामीण आवास योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। रोग निरोधक टीकाकरण ग्राम पंचायत के सहयोग और नियंत्रण में संचालित होगा।

संदर्भ :

1. जनपद पंचायत छुरिया, सांख्यकीय पुस्तिका 2015

2. शर्मा, डॉ. श्रीनाथ एवं डॉ. मनोज कुमार (2009), ***पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास,*** अर्जुन पब्लिसिग हाऊस दिल्ली, पेज नं. 113

3. राजकुमार (2009), ***नारी के बदलने आयाम,*** अर्जुन पब्लिसिग हाऊस दिल्ली 2009–डॉ , पेज नं. 121,

4. यादव, धर्मेन्द्र सिंह, (2006), ***पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास,*** रावत पब्लिकेशन्स नई दिल्ली 2006, पेज नं. 53

5. नरूला (2009), ***पंचायती राज व्यवस्था,*** अर्जुन पब्लिसिग हाऊस दिल्ली 2009–वी.सी.

✦

Mind and Society ISSN 2277-6907
Vol. 7, No. I & II , March & Jun 2018 Page 39-42

भारत में महिलाओं की स्थिति एवं विकास : एक परिदृश्य

*डॉ. मनीष कुमार साव,

Received 07 Apirl 2018 | Reviewed 14 April 2018 | Accepted 20 April 2018

प्राचीनकाल में महिलाओं को समाज में सर्वोपरि स्थान प्राप्त था और उन्हें सुख–समृद्धि, शंति, वैभव और ज्ञान का प्रतीक माना जाता था। धर्मश्सास्त्र काल में महिलाओं की स्थिति और भी खराब हो गई क्योंकि वैदिक नियमों का परित्याग कर दिया गया था और महिलाओं को सम्पत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया था। ब्रिटिश काल में भी महिलाओं की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। इस काल में भारतीय समाज सुधारकों द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कुछ प्रयास किए गए। स्वतत्रंता प्राप्ति के पष्चात् भारतीय समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन का दौर आरंभ हुआ है। कानूनी व्यवस्था, राजनैतिक आदर्श और पश्चिमी शिक्षा के प्रसार से समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन का संचार हुआ है। पंचवर्षीय योजनाओं में महिला शिक्षा, आर्थिक स्वावलंबन, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक स्तर पर सुधार आदि को प्रमुखता दी गई है। महिलाओं के साथ कार्य स्थलों पर भेदभाव, शारीरिक शोषण, मानसिक प्रताड़ना और उनके अन्य कई प्रकार के अधिकारों का हनन अब भी किया जा रहा है। अतएव महिलाओं की स्थिति में सुधार की काफी जरूरत है।

भारत में महिलाओं की स्थिति समय–समय पर बदलती रही है। प्राचीनकाल में महिलाओं को समाज में सर्वोपरि स्थान प्राप्त था और उन्हें सुख–समृद्धि, शांति, वैभव और ज्ञान का प्रतीक माना जाता था। वैदिककाल महिलाओं का स्वर्णिम काल था। इस काल में महिलाओं का परिवार एवं समाज में महत्वपूर्ण स्थान था और उन्हें सभी तरह की आजादी प्राप्त थी। वे घर से बाहर स्वच्छन्दता पूर्वक विचरण करती थी, अपनी इच्छा से विवाह करती थी और विधवाएँ पुनर्विवाह करने के लिए स्वंतत्र थी। महिलाओं की सहभागिता के अभाव में धार्मिक अनुष्ठानों को अधूरा माना जाता था। इस काल में बाल–विवाह और पर्दा–प्रथा का प्रचलन नहीं था। [1]

लेकिन बाद में कालों में महिलाओं की स्थिति में ह्रास हुआ। उत्तर–वैदिक काल से महिलाओं की स्थिति में गिरावट आरंभ हुआ। इस काल में महिलाओं के लिए वेदों का अध्ययन वर्जित कर दिया गया और विधवा पुनर्विवाह निषेध कर दिया गया। साथ ही समाज में बाल–विवाह का प्रचलन आरंभ हुआ जिसने महिलाओं की स्थिति बिगड़ने लगी।

धर्मशास्त्र काल में महिलाओं की स्थिति और भी खराब हो गई क्योंकि वैदिक नियमों का परित्याग कर दिया गया था और महिलाओं को सम्पत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया था। इससे महिलाओं का स्वाभिमान और आर्थिक स्वावलंबन समाप्त हो गया और वे सामाजिक एवं धार्मिक संकीर्णता से ग्रस्त हो गई। मध्यकालीन काल जो मुगल साम्राज्य का काल था, में मुगलों से भारतीय संस्कृति एवं महिलाओं की अस्मिता की रक्षा के संरक्षण हेतु ब्राह्मणों द्वारा कठोर नियमों को लागू किया गया जिसमें 5 से 8 वर्ष की आयु में बालिका विवाह, पर्दा–प्रथा का चलन, सती–प्रथा का चलन आदि कुछ प्रमुख थे। इस काल में एक पत्नी के

*सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, शासकीय एम.एम.आर. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चांपा (छ.ग.)

रहते दूसरी पत्नी को रखना सामाजिक प्रतिष्ठा की बात समझी जाती थी। इन्हीं नियमों के कारण भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में तेजी से गिरावट हुई।[2]

ब्रिटिश काल में भी महिलाओं की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। इस काल में भारतीय समाज सुधारकों द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कुछ प्रयास किए गए। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रहम समाज की स्थापना की गई, जो सती–प्रथा के विरूद्ध था। महर्षि दयानन्द द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, जो मुख्यतः वैदिक आदर्शो की पुर्नस्थापना का प्रयास था। इसी तरह ईश्वरचन्द विद्यासागर ने शिक्षा पर बल दिया गया। भारतीय समाज सुधारकों द्वारा किए गए प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही ब्रिटिश सरकार ने महिलाओं के उत्थान हेतु कुछ कानून बनाएँ जिनमें निम्नलिखित प्रमुख थे–

1. सती प्रथा निषेध अधिनियम, 1829
2. हिन्दु विधवा पुर्नविवाह अधिनियम, 1856
3. बाल–विवाह निरोधक अधिनियम, 1929
4. अलग रहने एवं भरण–पोशण के लिए महिलाओं का अधिकार अधिनियम, 1946

स्वतंत्रता पश्चात् महिलाओं की स्थितिः

स्वतत्रंता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन का दौर आरंभ हुआ है। कानूनी व्यवस्था, राजनैतिक आदर्श और पश्चिमी शिक्षा के प्रसार से समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन का संचार हुआ है। देश में बढ़ता औद्योगिकरण ने लोगों के जीवन शैली को बदला है। इन सब का सम्मिलित प्रभाव महिलाओं पर भी पड़ा है। शहरी महिलाएँ शिक्षा के प्रति संवदेनशील हुई है और वे रोजगार एवं आर्थिक स्वावलंबन की और उन्मुख है। ग्रामीण महिलाएँ इस दिशा में पिछड़ी हुई है। लेकिन सरकारी प्रयासों और संविधान प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों के द्वारा उन्हें भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है और उनकी स्थिति में सुधार पर बल दिया गया है।

संविधान प्रदत्त संवैधानिक अधिकारः

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में लागू किया गया संविधान नागरिकों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए है जो उनके दशा को बेहतर बनाता है और समाज में भेदभाव को समाप्त करता है। संविधान का अनुच्छेद 14 महिलाओं और पुरूषों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है। इसी तरह अनुच्छेद 15 महिलाओं को जहाँ समानता का अधिकार प्रदत्त करता है, वहीं अनुच्छेद 16 सभी नागरिकों को रोजगार का समान अवसर देता है चाहे महिला हो या फिर पुरूष।[3] संविधान का अनुच्छेद 39 सुरक्षा एवं समाज काम के लिए समान वेतन की वकालत करता है।

सरकार ने महिलाओं के विभिन्न संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु उनसे संबंधित कई कानून भी बनाए है जिससे कि महिलाओं को संरक्षण प्राप्त हो सकें, शोषण एवं उत्पीड़न का सामना न करना पड़े और पूरे सम्मान से समाज में अपना जीवन जी सकें। कुछ महत्वपूर्ण कानून इस प्रकार है :

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
2. हिन्दु विवाह अधिनियम (1976 में संशोधित)
3. देह व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 (1986 में संशोधित)
4. दहेज निवारण अधिनियम, 1956 (संशोधित 1986 में),
5. अश्लील चित्रण निवारण एक्ट, 1986
6. सती प्रथा निवारण अधिनियम, 1986
7. प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनिमय एवं दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 जो भ्रूण पहचान को अवैध घोषित करता है, (संशोधित 2002)
8. हिन्दू उत्तराधिकारी (संषोधन) अधिनियम, 2005 और
9. घरेलू हिंसा से संरक्षण विधेयक, 2005 ।

पंचवर्षीय योजनाएँ और महिलाएँः

स्वाधीनता के पश्चात् अपनाई गई नियोजित विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाओं में भी महिलाओं के विकास की धारणा कल्याणोमुखी रही है। पंचवर्षीय योजनाओं में महिला शिक्षा, आर्थिक स्वावलंबन,

सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक स्तर पर सुधार आदि को प्रमुखता दी गई है। महिलाओं को शक्ति सम्पन्न और अधिकार सम्पन्न बनाकर उनके माध्यम से सामाजिक परिवर्तन और विकास को योजनाओं के लक्ष्य के रूप स्वीकार किया गया है। डवाकरा, ट्राइसेम, इंदिरा महिला योजना, महिला समृद्धि योजना, महिला एवं सिद्ध योजना, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना, जीवन भारती महिला सुरक्षा योजना, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, महिला शक्ति पुरस्कार योजना, मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, वंदेमातरम् योजना आदि प्रमुख योजनाएँ है जिन्हें पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत लागू किया गया है[4] और महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया है।

मूल्यांकनः

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि स्वतत्रंता पश्चात् महिलाओं के कल्याण, उनका विकास और सुदृढ़िकरण को प्राथमिकता दी गई। समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विधायी उपायों, कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों को अर्थव्यवस्था में लागू किया गया है। विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का ही यह परिणाम है कि वर्तमान समय में महिलाएँ अपने अधिकारों एवं दायित्वों के प्रति सजग हुई है और उन्हें स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की भावना बलवति हुई है। सन् 1951 में महिला साक्षरता 8.86 प्रतिशत थी जो बढ़क 2011 में 65.46 प्रतिशत हो गई। महिला शिक्षा के स्तर में सुधार के कारण काम–काजी महिलाओं का प्रतिशत 1961 में 19.7 थी, बढ़कर सन् 2011 में 25.7 प्रतिशत हो गई।

शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की स्थिति में धीमी गति से सुधार हो रहा है। पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन और उसमें महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत (छत्तीसगढ़ में 50 प्रतिशत) का आरक्षण की व्यवस्था ने ग्रामीण महिलाओं में एक नये उत्साह का संचार किया है। वर्तमान समय में बहुत सारी ग्रामीण महिलाएँ मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायती समिति सदस्य है। अब ग्रामीण महिलाएँ भी समाज में अपनी उपस्थिति का एहसास करा रही है और वे भी अपने विभिन्न अधिकारों और दायित्वों के प्रति सजग एवं जागरूक होती जा रही है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार महिला श्रमिकों की संख्या देश की कुल महिलाओं का 25.6 प्रतिशत है और इसमें से अधिकांश श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों से है। ग्रामीण क्षेत्र की महिला श्रमिकों में जहाँ 87 प्रतिशत खेतिहर मजदूर है, वहीं शहरी क्षेत्र में 80 प्रतिशत श्रमिक महिलाएँ घरेलू उद्योगों, छोटे–छोटे व्यवसायों एवं नौकरियों और भवन निर्माण जैसे असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत है।[5]

पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत क्रियान्वित कल्याणकारी और विकासोन्मुख कार्यक्रमों एवं विभिन्न विधायी उपायों के फलस्वरूप देश में महिलाओं की स्थिति में निःसंदेह सुधार है, लेकिन कुछ आंकड़े ऐसे भी है जो महिलाओं की दुर्बल स्थिति को दर्शाता है। प्रतिवर्ष 1.25 लाख महिलाओं का प्रसव के दौरान मृत्यु होना, 72 प्रतिशत गर्भवती ग्रामीण महिलाओं का निरक्षर होना, 50 प्रतिशत सामान्य और 70 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का एनीमिया रोग से पीड़ित होना, कुपोषण के कारण 25 प्रतिशत बच्चों का प्रसव अवधि के पूर्व जन्म लेना, प्रतिवर्ष 1.30 करोड़ जन्म लेने वाली लड़कियों में से 30 प्रतिशत लड़कियों का 15 वर्ष की आयु प्राप्ति के पूर्व ही मृत्यु हो जाना, वृहत स्तर पर कन्या–भ्रूण हत्या किया जाना और महिला–पुरूष अनुपात में असंतुलन रहना आदि बताते है कि समाज में महिलाओं की स्थिति अब भी संतोषप्रद नहीं है।

ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में भी असंतोषजनक हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का शोषण अधिक है। गाँवों में महिलाएँ अल्प आयु से ही बाल श्रमिक के रूप में कार्य करने लगती है। छोटी उम्र में शादी और पारिवारिक दायित्वों के बोझ से इनका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास बाधित है। इन महिलाओं को अपने वैधानिक अधिकारों के बारे में जहाँ अल्प ज्ञान हैं, वहीं अन्य कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाओं की भी जानकारी आधा–अधूरा ही है या फिर उससे अनभिज्ञ है।[6]

सुझावः

यद्यपि महिलाएँ रोजगार के सभी क्षेत्रों में कार्य कर रही है औरन उनकी कार्य स्थितियों में सुधार हुआ है, उन्हें रोजगार के बेहतर अवसरों के साथ–साथ कानूनी सुरक्षा प्राप्त हुई है और उनके विकास की समुचित प्रबंध किया गया है तथापि उनके साथ कार्य स्थलों पर भेदभाव, शारीरिक शोषण, मानसिक प्रताड़ना और उनके अन्य कई प्रकार के अधिकारों का हनन अब भी किया जा रहा है। अतएव महिलाओं की स्थिति में सुधार की काफी जरूरत है। इस दृष्टि से निम्नांकित तथ्यों पर ध्यान देने की जरूरत है :

1. महिलाओं में जागृति उत्पन्न की जाए और उनके आत्म विश्वास को जगाया जाये ताकि वे अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को समझ सकें। इसके लिए महिला शिक्षा की ठोस व्यवस्था करने की आवश्यकता है। बालिकाओं एवं महिलाओं में शिक्षा के प्रसार को प्राथमिकता देने की सख्त आवश्यकता है। वैसी महिलाएँ जो पढ़ने लिखने की अवस्था पार कर चुकी है, उन्हें महिला प्रशिक्षकाओं की समुचित व्यवस्था पर शिक्षण एवं प्रशिक्षण देना चाहिए।

2. बाल–विवाह की मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है ताकि बालिकाओं को पूर्ण व्यक्तित्व विकसित हो सकें। यह काम भी शिक्षा के प्रसार से संभव है।

3. उच्च विद्यालय के उपर की बालिकाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वे आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त कर सके और आत्मनिर्भर बन सकें।

4. महिला विकास कोष से अधिक ऋण की व्यवस्था की जाने की आवश्यकता है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमशीलता को प्रोत्साहन मिल सकें।

5. महिला संरक्षण सं संबंधित विभिन्न कानूनों का वास्तविक एवं कड़ाई क्रियान्वयन की आवश्यकता है। इसके लिए प्रशासन एवं पुलिस को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करने की पहल वांछनीय है।

6. महिला उत्पीड़न, हिंसा, शोषण, बलात्कार जैसे अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं उसका त्वरित निष्पादन की आवश्यकता है, तभी महिलाओं का विधायी व्यवस्था एवं प्रशासन में विश्वास बढ़ेगा और वे समाज में भयमुक्त होकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकेगी।

निष्कर्षः

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि देश में पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत कल्याण से लेकर विकास तक और विकास से लेकर शक्ति सम्पन्न होने तक के सभी कार्यक्रमों में महिलाओं को विशेष स्थान दिया गया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार द्वारा क्रियान्वित महिलाओं के उत्थान से संबंधित सभी योजनाओं में आम नागरिकों और गैर–सरकारी संस्थाओं की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित किया जाय तभी भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सुखद, स्तरीय और सम्मानजनक बन सकेगी।

संदर्भः

1 झा, डी.एन (1997), ***प्राचीन भारत की रूपरेखा,*** पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।

2 मित्तल,ए.के. (2002), ***मध्यकालीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास***, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।

3 डी.डी. बासु (2012), ***भारतीय संविधान***

4 एस.सी. सिंहल (2015), ***समकालीन राजनीति मुद्दे*** लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा ।

5 रूद्रदत्त एवं के.पी. सिंहल (2017),***भारतीय अर्थव्यवस्था***, एस.चन्द एण्ड सुन्दरम् कम्पनी लिमिटेड,रामनगर, नई दिल्ली।

6 सवलिया बिहारी वर्मा (2017), ***ग्रामीण विकास*** (सम्पादित) आविष्कार

✦